



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042021-226705
CG-DL-E-20042021-226705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943

No. 134]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2021

मामला संख्या: एडीडी-ओआई-11/2020

विषय: वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/13/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठ भूमि

1. मैसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/मैसर्स ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मैसर्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए)

नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी शुल्क की जांच की शुरुआत के लिए एक विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दायर किया।

2. आवेदकों द्वारा दायर पाटन एवं क्षति के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य से युक्त पूर्ण आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित वास्तविक क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. 6/13/2020-डीजीटीआर द्वारा पाटनरोधी जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध करायी।
- v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उन्हें भेजी गई थी।
- vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित उन ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी, जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए उपलब्ध कराए गए थे:
 - क) मैसर्स एवरग्रीन फाइबर बरहाड (जेबी) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - ख) मैसर्स डोगवाह फाइबरबोर्ड एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - ग) मैसर्स रॉबिन रिसोर्सेस (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - घ) मैसर्स सेगामट बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया
 - ङ) मैसर्स एडवांस फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - च) मैसर्स खोन कर्इन एमडीएफ बोर्ड कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - छ) मैसर्स वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ज) मैसर्स सियाम फाइबरबोर्ड कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - झ) मैसर्स मैट्रो फाइबर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

- ज) मैसर्स वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ट) मैसर्स मैट्रो एम.डी.एफ. कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ठ) मैसर्स पीटी अंदालन कार्य बरसामा, इंडोनेशिया
 ड) मैसर्स पी.टी. सुमातेरा प्राइम फाइबर बोर्ड, इंडोनेशिया
 ढ) मैसर्स पीटी हिजो लेसटारी राया फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
 ण) मैसर्स किम टिन एमडीएफ ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 त) मैसर्स एमडीएफ वीआरजी क्वांग ट्री ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
 थ) मैसर्स होंग डोंग बम्बू एंड रत्न कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 द) मैसर्स वियतनाम वुडन बोर्ड कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 ध) मैसर्स विटरनेक्सो लिमिटेड कंपनी, वियतनाम
 न) मैसर्स वीआरजी डोंगवाह एमडीएफ लिमिटेड, वियतनाम
 प) मैसर्स किम टिन ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- vii. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- क) मैसर्स वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ख) मैसर्स वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ग) पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 घ) पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ङ) मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 च) मैसर्स मैग्रा फ़ोरमॉस्ट एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 छ) मैसर्स ग्रैंड पैरागॉन एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 ज) एच मैसर्स मेसोनाइट कंपोनेंट्स अनलिमिटेड कंपनी, आयरलैंड
 झ) मैसर्स पीटी सुमातेरा प्राइम फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
 ञ) मैसर्स पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया
 ट) मैसर्स एस. किजचाई इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ठ) मैसर्स वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 ड) मैसर्स एसपीबी पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के उन निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे तथा उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें:
- क) मैसर्स कृष्णा प्लाईवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 ख) मैसर्स जैकसन वेनीर्स एंड पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
 ग) मैसर्स लेबल सेल्स कॉर्पोरेशन
 घ) मैसर्स कलिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

- ड) मैसर्स श्रीवारी ट्रेडर्स
 - च) मैसर्स विजय प्लाईवुड डिस्ट्रीब्यूटर्स
 - छ) मैसर्स थामरापल्ली ब्रदर्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - ज) मैसर्स मैथ्यूसन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - झ) मैसर्स आर.जे.मेटल्स
 - ञ) मैसर्स फेरोक बोर्डर्स लिमिटेड
- ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने वर्तमान जांच में अनुरोध अथवा प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- क) मैसर्स फेरोक बोर्डर्स लिमिटेड
 - ख) मैसर्स रंगा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
 - ग) थामरापल्ली ब्रदर्स वीनर्स एंड पैनल प्राइवेट लिमिटेड
 - घ) एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (एएफएमआई)
- x. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में कानूनी अनुरोध और/अथवा प्रतिभागिता के पत्र दायर किए हैं:
- क) मैसर्स वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ख) मैसर्स वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ग) पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - घ) पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
 - ड) मैसर्स सेगामट पैनल बोर्डर्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 - च) मैसर्स मैग्ना फ़ोरमॉस्ट एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 - छ) मैसर्स ग्रैंड पैरागॉन एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
 - ज) मैसर्स मेसोनाइट कंपोनेंट्स अनलिमिटेड कंपनी, आयरलैंड
 - झ) मैसर्स पीटी सुमतेरा प्राइम फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
 - ञ) मैसर्स पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया
 - ट) थाई पैनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्लब, थाईलैंड
 - ठ) इंडोनेशिया सरकार
- xi. जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच में संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- xiii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उसमें इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से नहीं देखी जा सकती थी।

- xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (पीओआई) तक मानी गयी है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 - 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि मानी गई।
- xv. घरेलू उद्योग और निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- xvi. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर है। यह इस तरह निकाली गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़ों के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त सूचना और जांच की अवधि भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई है।
- xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 फरवरी, 2021 को हुई सुनवाई में उनके द्वारा मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर हैं, तो वे दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- xix. इस जांच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जहां भी संगत पाए गए, प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिए गए हैं।
- xx. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड किया है।
- xxi. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 07 अप्रैल, 2021 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उस पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- xxii. इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiii. जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.34 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है। विचाराधीन उत्पाद को प्लेन एमडीएफ बोर्ड भी कहा जाता है। यह ताप और दबाव देकर यूरिया फॉर्मेलिहाइड रेसिन अथवा मेलामाइन रेसिन के साथ लगाए गए वुड वेस्ट फाइबर से बनाया गया सम्मिश्रित वुड उत्पाद है। यह उसके मुलायम और एक रूप परिष्करण के कारण पार्टीशन्स, मॉड्यूलर फर्नीचर, कैबिनेट्स आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड सादे रूप में उत्पादित किया जाता है और लेमिनेशन एक अतिरिक्त प्रसंस्करण है जो प्लेन एमडीएफ बोर्ड के उत्पादन के बाद किया जाता है।

5. लेमिनेटेड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। 6 एमएम या उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है।
6. संबद्ध सामान प्रशुल्क शीर्ष 44111200 और 44111300 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि, संबद्ध सामान का आयात अन्य प्रशुल्क शीर्ष 44119219, 44119229, 44119319, और 44119419 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
 - (i) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई अंतर नहीं है तथा भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।
 - (ii) जहां तक मॉल्डेड डोर स्किन्स का संबंध है, घरेलू उद्योग को उसे हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे आयात आंकड़ों से भी अलग किया गया है।
 - (iii) जहां तक हाई डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एचडीएफ) का संबंध है, विचाराधीन उत्पाद अपने आप में "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि एचडीएफ विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।
 - (iv) जहां तक अतिरिक्त एचएस कोड का संबंध है, जांच की शुरुआत की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है। एचएस कोड में वे शामिल हैं जिनके अंतर्गत उत्पाद वर्गीकृत और आयातित किया जाता है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग की गई मदों की सूची में डोर स्किन्स के नाम का उल्लेख न करके शरारती तरीके से कार्य किया है।
 - (ii) डोर स्किन्स और मॉल्डेड डोर स्किन्स एक मूल्यवर्धित उत्पाद है और प्राधिकारी द्वारा विगत में एमडीएफ शामिल करते हुए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।
 - (iii) प्राधिकारी ने इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम से फाइबर बोर्ड के आयातों के संबंध में चल रही सस्विडीरोधी जांच में दिनांक 20.12.2019 के पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि मॉल्डेड डोर स्किन्स को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।
 - (iv) पीसीएन स्तर पर तुलना उपयुक्त पद्धति है और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किस्म-वार सूचना सभी तुलना प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जानी चाहिए।
 - (v) निर्यातक फॉर्मेलिडहाइड एमिशन पर आधारित विचाराधीन उत्पाद अर्थात् ई-0, ई-1/कार्ब तथा ई-2 में शामिल उत्पाद की तीन बोर्ड किस्मों का विनिर्माण और बिक्री करता है तथा इन ग्रेडों की लागत और कीमत में काफी अंतर है। काफी लागत और कीमत अंतरों वाले परस्पर ग्रेडों को इन विभिन्न ग्रेडों के लिए पाटन एवं क्षति मार्जिन के अलग-अलग निर्धारण की आवश्यकता है।
 - (vi) हाई डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एचडीएफ) को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे पूर्णतः भिन्न उत्पाद हैं।
 - (vii) एचएस कोड का विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा और कीमत के संबंध में आंकड़ों की परिशुद्धता पर प्रभाव होगा और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्या अतिरिक्त एचएस कोड मुख्य एचएस कोडों का समान उत्पाद है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है। विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"विचाराधीन उत्पाद प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड है जिसे प्लेन एमडीएफ बोर्ड रूप में भी जाना जाता है। यह ताप और दबाव देकर यूरिया फॉर्मिलिडहाइड रेसिन अथवा मेलामाइन रेसिन के साथ लगाए गए वुड वेस्ट फाइबर से बनाया गया सम्मिश्रित वुड उत्पाद है। यह उसके मुलायम और एक रूप परिष्करण के कारण पार्टिशन, मॉड्यूलर फर्नीचर, कैबिनेट्स आदि के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। एमडीएफ बोर्ड सादे रूप में उत्पादित किया जाता है और लेमिनेशन एक अतिरिक्त प्रसंस्करण है जो प्लेन एमडीएफ बोर्ड के उत्पादन के बाद किया जाता है।"

लेमिनेटेड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। 6 एमएम या उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है।"

10. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं। इस दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु माना जाता है।
11. जहां तक वर्तमान जांच में मॉलडेड डोर स्किन्स और हाई डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एचडीएफ) को हटाए जाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि घरेलू उद्योग मॉलडेड डोर स्किन्स का विनिर्माण नहीं कर रहा है, अतः उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाता है। जहां तक हाई डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एचडीएफ) को हटाए जाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हाई डेनसिटी फाइबर बोर्ड (एचडीएफ) भी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।
12. जहां तक वर्तमान जांच में पीसीएन अपनाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यही मुद्दा 6 एमएम से कम मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड के लिए पाटनरोधी शुल्क जांच के मामले में प्राधिकारी द्वारा पहले लिया गया था जिसमें पीसीएन सिद्धांत को न अपनाने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकारी द्वारा पूर्व में उठाए गए कदम से विचलन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।
13. संबद्ध सामान प्रशुल्क शीर्ष 44111200 और 44111300 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि, संबद्ध सामान का आयात अन्य प्रशुल्क शीर्ष 44119219, 44119229, 44119319, और 44119419 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू निम्नानुसार परिभाषित है:

"ख "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। व्यवस्था

की कंपोजिट स्कीम के तहत ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अलग कर दिया गया था। आवेदकों ने वर्तमान जांच के संबंध में पूरी संगत सूचना दी है।

- (ii) आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश में किसी भी निर्यातक अथवा पाटित वस्तु के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
- (iii) जहां तक उन अन्य घरेलू उत्पादकों को शामिल किए जाने का संबंध है, जो पूर्व जांचों के भाग थे, यह उल्लेख किया जाता है कि वे घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं करते।
- (iv) जहां तक समर्थकों तथा तथाकथित लेने और चयन करने की पद्धति का संबंध है, सभी याचिकाओं के लिए समर्थक होना अनिवार्य नहीं है तथा जिसके अभाव का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग ने लेने और चयन करने की पद्धति लगाई है। चीन-ऑटोज़ (यूएस) ने डब्ल्यूटीओ पैनल में उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को परिभाषित करने की कोई सुस्थापित पद्धति नहीं है और कमजोर निष्पादक उत्पादकों के भाग लेने की संभावना व्यापार उपचार कार्यवाहियों का एक साधारण प्रभाव है।
- (v) प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण के उत्तर में, मैसर्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने यह उल्लेख करते हुए एक ई-मेल भेजा कि उन्हें अब एक आवेदक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

16. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) घरेलू उद्योग आवेदकों के विभिन्न परिवर्तनों और संयोजनों के साथ प्राधिकारी के समक्ष गैर-मौजूद अथवा अवास्तविक क्षति दर्शाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आया है।
- (ii) पूर्व जांच और चल रही सीवीडी जांच में जो उत्पादक घरेलू उद्योग के भाग थे, उन्हें क्षति संबंधी आंकड़ों को विकृत करने के लिए जानबूझकर क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
- (iii) दिनांक 27.09.2018 की व्यापार सूचना संख्या 13/2018 की शुरुआत से किसी भी जांच में कोई समर्थक नहीं रहा है, जिसका अर्थ यह है कि घरेलू उत्पादकों ने क्षति दर्शाने के लिए सोच विचार कर चुनने की पद्धति लगाई है। यह थाईलैंड-डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.4 और थाईलैंड-एच-बीन्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के संदर्भ में भारत के दायित्वों के विरुद्ध है जिसमें यह उल्लेख है कि प्राधिकारी को "उद्योग की स्थिति" की समग्र रूप में जांच करनी चाहिए न कि घरेलू उत्पादकों के भाग के रूप में।
- (iv) अन्य घरेलू उत्पादक बाजार में बेहतर निष्पादन कर रहे हैं और प्राधिकारी को आंकड़ों को उचित एवं अनुकूल रूप से समझना सुनिश्चित करने के लिए उनके आंकड़े मंगाने चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए।

घ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. वर्तमान मामले में आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे आवेदन कंपनियां भी कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया था जिनका कुल भारतीय उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य विनिर्माता अर्थात् मैसर्स बालाजी एक्शन बिल्डवेल, मैसर्स पायनियर पैनल प्रोडक्ट्स, और मैसर्स रंगा पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं जो भारत में समान वस्तु का विनिर्माण करते हैं। आवेदकों का संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।
18. जहां तक उन अन्य घरेलू उत्पादकों को शामिल किए जाने के तर्क का संबंध है, जो पूर्व जांचों और चल रही सीवीडी जांच का भाग थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रुशिल डेकर लिमिटेड, अन्य कंपनी, जो अन्य जांचों तथा चल रही सीवीडी जांच में घरेलू उद्योग का भाग है, विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं करती।
19. सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने 14 अप्रैल, 2021 और 17 अप्रैल, 2021 के ई-मेल द्वारा अर्थात् प्रकटन विवरण किए जाने के बाद, इस जांच में घरेलू उद्योग के घटक के रूप में अपनी प्रतिभागिता वापस लेते हुए एक पत्र दायर किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अपने निष्कर्ष के स्तर पर पहुँच चुकी है और हर बात को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद,

सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, जो कि आवेदक घरेलू उद्योग का एक घटक है, ने घरेलू उद्योग के घटक के रूप में अपनी प्रतिभागिता वापस लेने का अनुरोध किया है। जांच के अंतिम चरण में इस प्रकार की वापसी यद्यपि किसी भी तरीके से जांच को जारी रखे जाने को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि शेष आवेदक ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुल घरेलू उत्पादन में *** प्रतिशत हिस्सा है और इस प्रकार हर तरह से नियमावली के तहत आधार की अपेक्षा पूरी करते हैं तथा उनका संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

20. आवेदक कंपनी ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध होने का दावा किया है।
21. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक कंपनी अर्थात् ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है।
22. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने इस प्रकार जांचों में पूरी तरह से भाग लिया है, प्राधिकारी को सभी संगत सूचनाएं दी हैं, अपनी सूचना का सत्यापन पेश किया है और अपनी सूचना के सत्यापन के बाद स्वतंत्र लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लागत विवरण उपलब्ध कराया है। चूंकि कंपनी के संबंध में जांचों से संगत पूरी सूचना रिकॉर्ड में है, क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग करना उपयुक्त होगा क्योंकि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड की सूचना/आंकड़ों का प्रयोग करके समग्र रूप से घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन इस स्थिति का अधिक प्रतिनिधि कारक होगा।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) एस. किजचाई इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड, वाइजवुड कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड और थमारप्पल्ली ब्रदर्स वेनीर्स एंड पैनल प्राइवेट लि. अपने प्रश्नावली के उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफल रहे हैं।
 - (ii) एसपीबी पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थाईलैंड ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके में प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।
 - (iii) एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैनुफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (एएफएमआई) को वर्तमान जांच में असहयोगी माना जाना चाहिए।
 - (iv) निर्यातकों और उत्पादकों ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है और मूल सूचना को भी संशोधित किया है। दायर किए गए उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय होने का दावा की गई सूचना की सार्थक समझ की अनुमति नहीं देता। उत्तर व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और रद्द किए जाने योग्य है।
 - (v) उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रखी गई सूचना निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों का अनिवार्य भाग है। अगोपनीय रूपांतर में इतनी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव के कारण घरेलू उद्योग कोई सार्थक अनुरोध करने में असमर्थ है जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
 - (vi) निर्यातकों ने परिशिष्टों का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत नहीं किया है। यहां तक कि सूचीबद्ध सूचना भी घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। निर्यातकों ने वह सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है जो सार्वजनिक पटल पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।
 - (vii) पैनल प्लस कंपनी के उत्तर के अनुसार, वह भारत को निर्यात नहीं करती। तथापि, उसके निष्पादन मानदंडों के अनुसार निर्यात बिक्री की गई है। मेसोनाइट आयरलैंड के लिए दी गई वेबसाइट कार्यचालन में नहीं है। निर्यातक घरेलू उद्योग और प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
 - (viii) घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार है।

- (ix) जहां तक बाजार अनुसंधान रिपोर्ट की गोपनीयता का संबंध है, वह सार्वजनिक पटल पर अनुपलब्ध तृतीय पक्षकार सूचना है और याचिकाकर्ता उसे प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

24. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) याचिका रद्द किए जाने योग्य है क्योंकि यह व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार नहीं है। संदर्भ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी के पत्र का दिया जाता है जिसमें घरेलू उद्योग को यह निर्देश दिया गया था कि वे व्यापार सूचना के अनुबंध-1 के अनुसार अगोपनीय रूपांतर दें और एल्युमीनियम ज़िंक कोटेड उत्पादों का दिया जाता है जिनमें निर्यातक के आंकड़ों को रद्द किया गया था क्योंकि प्रमाणित लागत प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए थे।
- (ii) घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे गलत हैं और छिपाए गए हैं। निर्यातकों के उत्तर व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे।
- (iii) याचिकाकर्ता ने साक्ष्य नहीं दिया है कि सार्वजनिक पटल पर सूचना गोपनीय होने का दावा किया गया था।
- (iv) जहां तक वार्षिक रिपोर्टों में सूचना की गोपनीयता का संबंध है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की समान प्रकृति के संबंध में भिन्न-भिन्न मानक लागू नहीं किए जा सकते।
- (v) जांच को जिम्मेदार और अनुमति योग्य गोपनीयता के मुद्दे उठाकर महत्वहीन नहीं बनाया जा सकता।
- (vi) याचिका में परिकलित सामान्य मूल्य 30 प्रतिशत से अधिक है और सिद्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने मैया अनुसंधान द्वारा बाजार अनुसंधान रिपोर्ट पर विश्वास किया था। अतः सूचना/साक्ष्य पर गोपनीयता के दावे करने के लिए उस समय कोई कारण नहीं है जब उसका स्रोत पहले ही प्रकट कर दिया गया हो। एमडीएफ क्षेत्र में मैया अनुसंधान की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि गलत बिक्री कीमतें दर्शाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सभी रिपोर्टों में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें विचाराधीन उत्पाद के लिए जांच की अवधि आती हो। याचिका में दर्शाई गई बिक्री कीमतें अत्यधिक हैं जबकि वास्तविक बिक्री कीमतें सुपुर्दगी आधार पर लगभग 220 यूएसडी/ एमटी हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

25. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

- 26 सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उसमें इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर ई-मेल करें क्योंकि चल रही वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल वास्तविक रूप से नहीं देखी जा सकती थी।
- 27 गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और तदनुसार उन्हें हल किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
- 28 जहां तक (i) एसपीबी पैनल इंडस्ट्रीज कं. लि. थाईलैंड (ii) मैसर्स एस. किजचाई, (iii) वाइजवुड कंपनी लिमिटेड और (iv) थमारप्पल्ली ब्रदर्स वेनीस एंड पैनल प्राइवेट लि. के प्रश्नावली के उत्तर के अनुरोध का संबंध है, यह देखा जाता है कि ये कंपनियां अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने उत्तरों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफल रही हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित न करने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपर्युक्त कंपनियों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों पर सार्थक टिप्पणी करने में बाधा पड़ी है। प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के उप नियम 2 के उल्लंघन को देखते हुए इन कंपनियों द्वारा दायर उत्तरों को रद्द करना उपयुक्त मानते हैं।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29 घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) संबद्ध देशों में निर्यातक उनकी संबंधी सरकारों द्वारा दी गई सब्सिडियों और मुक्त व्यापार करारों के तहत दी गई शुल्क रियायतों के बावजूद, पाटन का सहारा लेते हैं और वे पहले से ही चल रही सब्सिडीरोधी जांच के अध्यक्षीन हैं।
- (ii) जहां तक व्यापार उपचार उपायों के दुरुपयोग का संबंध है, घरेलू उद्योग को कोई अधिक संरक्षण नहीं है और पाटनरोधी शुल्क केवल अनुचित व्यापार उपाय को रोकने के लिए है। प्राधिकारी शुल्क तभी लगाते हैं, जब सभी कानूनी अपेक्षाएं पूरी की जाएं। निर्यातक अनुचित कीमतों पर आदतन निर्यात कर रहे हैं। आयातों का बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से से अधिक है। क्षमताओं में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग को इस मांग को पूरा करने से रोका गया है। यदि निर्यात अपाटित कीमतों पर किए जाते तो उपभोक्ता घरेलू उद्योग से खरीदारी करते।
- (iii) जहां तक बहुत सी जांचों का संबंध है, क्षति कम कीमत के आयातों के कारण है और यह वहां तक स्पष्ट है कि ये कम कीमतें पाटन के कारण किस हद तक हैं और सब्सिडी के कारण किस हद तक हैं। अतः इनकी जांच की जानी चाहिए। समग्र क्षति मार्जिन के अंतर्गत पाटन और सब्सिडी की सीमा तक उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और क्षति मार्जिन से अधिक किसी राहत की मांग नहीं की जाती।
- (iv) पाटनरोधी और सीवीडी मामलों, दोनों की साथ-साथ जांच करने में कोई बाधा नहीं है तथा एक ही समय में जांच करना अत्यधिक उपयुक्त है। अन्य न्यायाधिकरण, यथा – संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ पाटनरोधी तथा सीवीडी जांचें साथ-साथ करती हैं, जैसा कि सेसटेट द्वारा पाया गया है और मैसर्स सनसिटी शीट्स प्रा. लि. बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है।

- (v) जहां तक जांच की अवधि के अति व्यापन का संबंध है, वर्तमान जांच में पाटन और क्षति की जांच की अवधि के बीच कोई अंतर नहीं है तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति वर्तमान जांच की अवधि में है।
- (vi) जहां तक जांच की शुरुआत को औचित्यपूर्ण बताने की अपेक्षाओं का संबंध है, नियम 5 की सभी अपेक्षाओं को घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया गया है।
- (vii) जहां तक बाजार पर एकाधिकार करने का संबंध है, पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित करना है और शुल्क लगाने से आयात किसी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे अथवा उपभोक्ताओं की उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

30 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) संबद्ध सामानों के निर्यातकों द्वारा ली गई सब्सिडी का मुद्दा पाटनरोधी जांच के लिए अवास्तविक है, जैसा कि मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास से संबंधित जांच में कहा गया है।
- (ii) घरेलू उद्योग का यह अनुरोध कि निर्यातक शुल्क रियायतों का लाभ लेते हैं, यह सिद्ध करता है कि क्षति का कारण मुक्त व्यापार करारों के तहत शुल्क मुक्त आयात है और तथाकथित पाटित आयातों के कारण नहीं हो सकता।
- (iii) घरेलू उद्योग पिछले 11 वर्षों से व्यापार उपचारात्मक उपायों का दुरुपयोग करता आ रहा है जिसमें उत्पाद के कुछ या अन्य रूप के विरुद्ध मामले रहे हैं।
- (iv) विचाराधीन उत्पाद के संबंध में सीवीडी जांच समांतर रूप से की जा रही है। इस स्थिति को हल करने के लिए बहुविध शुल्कों से बचा जाना चाहिए।
- (v) पाटन एवं क्षति जांच की जांचावधि का आयात और क्षति के बीच मेल सुनिश्चित करने के लिए अति व्यापन किया जाना चाहिए जिसके बिना कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः याचिका को रद्द किया जाना चाहिए।
- (vi) याचिकाकर्ता जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहे।
- (vii) भारत में ग्राहकों को व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए और बाजार पर एकाधिकार करने के लिए पाटनरोधी उपायों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31 प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।

- (i) जहां तक व्यापार उपचारात्मक उपायों और अत्यधिक संरक्षण के तथाकथित दुरुपयोग का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने के लिए सिफारिश केवल तभी की जाती है, जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी कर ली जाएं।
- (ii) जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि याचिका में जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए संगत सभी सूचनाएं थीं। प्राधिकारी ने यह संतुष्ट होने पर ही कि आवेदन पत्र में जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, वर्तमान जांच शुरू करने का निर्णय लिया।
- (iii) जहां तक समांतर पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी जांचें करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी समांतर जांचें करने में कोई बाधा नहीं है।
- (iv) जहां तक जांच की अवधि के अति व्यापन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन और क्षति के लिए जांच की अवधि समान है और उनके बीच कोई अंतर नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 सामान्य मूल्य**

32 धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

33 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य मैया अनुसंधान द्वारा बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में सूचित कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन वार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है।
- (ii) मैसर्स वाइजवुड्स लिमिटेड, थाईलैंड द्वारा दायर उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वह निर्धारित तरीके में दायर नहीं की गई थी।
- (iii) निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है और गैर-प्रतिभागिता के तथ्य से प्रतिकूल निष्कर्ष लिया जाना चाहिए तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यातकों पर उच्चतम शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- (iv) फाइबर बोर्ड के आयातों के विरुद्ध चल रही सब्सिडीरोधी जांच में जारी प्रकटन विवरण में उल्लेख किया गया है कि संबद्ध देशों में प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों का विभिन्न सरकारी स्कीमों के कारण अत्यधिक ह्रास हुआ है। अतः संबद्ध देशों में निर्यातकों की कच्ची सामग्री की कीमतें बाजार कीमतों को नहीं दर्शाती हैं और सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए रद्द किए जाने योग्य हैं।
- (v) जहां तक पीटी मुक्ति द्वारा दायर उत्तर पर विचार करने का संबंध है, इस पर सोचना कि परिशुद्धता एवं पर्याप्तता के अध्येधीन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जा सकता है। निर्यातकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि कच्ची सामग्री की कीमतें विकृत नहीं हुई हैं। यदि कच्ची सामग्री कीमतें विकृत पाई जाती हैं तो विकृत न हुई कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।

- (vi) जहां तक संबंधित पक्षकारों के लिए अलग पाटन मार्जिन का संबंध है, यह डीजीटीआर की परिपाटी के विरुद्ध है। एसओपी मैनुअल के पैरा 12.28 के मद्देनजर केवल एक पाटन मार्जिन सभी संबंधित पक्षकारों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vii) जहां तक सामान्य मूल्य के लिए आंकड़ों के आधार का संबंध है, प्रथम दृष्टया पाटन सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई थी क्योंकि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों के घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों की वास्तविक बिक्री कीमत और संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के प्रति गुप्त नहीं है।
- (viii) जहां तक सामान्य मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए वास्तविक कीमतें उपलब्ध कराई हैं।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

34 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) पीटी मुक्ति द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में दी गई वास्तविक सूचना पर उसके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- (ii) संबंधित कंपनियों, वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी और वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, और पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड और पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, और पीटी सुमाटेरा फाइबरबोर्ड और सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी के लिए पाटन मार्जिन पृथक रूप से परिकलित किया जाना चाहिए।
- (iii) थाईलैंड के विरुद्ध पाटन के आरोप सिद्ध नहीं हैं।
- (iv) पाटन मार्जिन का सिद्ध होना गलत है क्योंकि सामान्य मूल्य जांच की अवधि से पूर्व 2018 के आंकड़ों के आधार पर था। यह भी संदेहास्पद है कि क्या सामान्य मूल्य कारखानागत स्तर पर सिद्ध किया गया था।
- (v) जिस अवधि में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत सिद्ध की गई थी, वह भिन्न है और सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को भिन्न-भिन्न स्तर पर तुलना करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के असंगत होगा।
- (vi) याचिका में परिकलित सामान्य मूल्य 30 प्रतिशत से अधिक है और सिद्ध नहीं है।
- (vii) यूरोपीय संघ-बायोडीजल तथा ऑस्ट्रेलिया-ए-4 कॉपी पेपर में डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्टों के मद्देनजर जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे रिकॉर्ड किए गए और उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत लागत आंकड़ों पर विचार करें, बशर्ते कि वे जीएएपी के अनुसार हों और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उपयुक्त रूप से दर्शाएं। ए-4 कॉपी पेपर में पैनल में यह नियम दिया कि यहां तक कि यदि ह्रास होता है, परंतु वह घरेलू कीमत और निर्यात कीमत के बीच समुचित तुलना होने देता है तो जांचकर्ता प्राधिकारी को सामान्य मूल्य निर्मित करने की अनुमति नहीं है, भले ही उत्पादकों की लागत बदल जाए।
- (viii) निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया और विधिवत रूप से पूर्ण प्रश्नावली के उत्तर दायर किए। अतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए वास्तविक सूचना पर विचार किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35 धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

36 प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है:

- (i) मैसर्स वानाचाई पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (ii) मैसर्स वानाचाई ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (iii) पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (iv) पैनल प्लस कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (v) मैसर्स सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- (vi) मैसर्स मैग्रा फ़ोरमास्ट एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- (vii) मैसर्स ग्रैंड पैरागॉन एसडीएन बीएचडी, मलेशिया
- (viii) मैसर्स मेसोनाइट कंपोनेंट्स अनलिमिटेड कंपनी, आयरलैंड
- (ix) मैसर्स पीटी सुमातेरा प्राइम फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया
- (x) मैसर्स पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया
- (xi) मैसर्स एस. किजचाई इंटरप्राइज पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (xii) मैसर्स वाइजवुड्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- (xiii) मैसर्स एसपीबी पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

37. जिन सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, उनके उत्तर की जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए की गई है।

38. यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मैग्रा फ़ोरमास्ट एसडीएन बीएचडी, मलेशिया और उसके संबद्ध निर्यातकों, यथा – मैसर्स ग्रैंड पैरागॉन एसडीएन बीएचडी, मलेशिया और मैसर्स मेसोनाइट कंपोनेंट्स अनलिमिटेड कंपनी, आयरलैंड विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं करते। ये कंपनियां मॉल्डेड डोर स्किन्स का निर्यात करती हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग की गई हैं। चूंकि सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है और पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों पर ही लगाए जाने के लिए सिफारिश की जाती है, अतः प्राधिकारी पाते हैं कि इन कंपनियों के लिए पाटन मार्जिन का परिकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

39. जहां तक संबद्ध पक्षकारों के लिए भी अलग पाटन मार्जिन की सिफारिश के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन भारत में कानूनों एवं परिपाटी के अनुसार परिकलित किया जाता है।

40. जहां तक कच्ची सामग्री के ह्रास के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि कच्ची सामग्री की कीमतों का संबद्ध देशों में ह्रास हुआ है। यह तर्क सिद्ध न किए जाने के कारण, रद्द किया जाता है।

छ.4.0. सामान्य मूल्य का निर्धारण

छ.4.1. थाईलैंड से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड थाईलैंड में आधारित संबद्ध सामानों का एक उत्पादक एवं निर्यातक है। उसके संबद्ध व्यापारी अर्थात् पैनल प्लस कं. लि. ने भी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। पैनल प्लस एमडीएफ कं. लि. ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान पैनल प्लस एमडीएफ कं. की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए सामान्य व्यापार प्रक्रिया (80:20) परीक्षण *** प्रतिशत बिक्री लाभप्रद दर्शाता है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में लाभप्रद घरेलू बिक्री को लेकर निर्धारित किया गया है। पैनल प्लस एमडीएफ कं. ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निकाला गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

42. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड थाईलैंड में स्थित संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है। उसके संबद्ध उत्पादक अर्थात् वानाचर्ड ग्रुप पब्लिक कंपनी लि. ने भी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। तथापि, चूंकि उन्होंने केवल मॉलडेड डोर स्किन्स की बिक्री की है, अतः उनके लिए मार्जिन नहीं निकाला जा रहा है। वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड की घरेलू बिक्री भारत को बिक्री के *** प्रतिशत से कम पाई गई है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य नियमों के अनुसार निर्धारित प्रशासनिक बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उपयुक्त वृद्धि के साथ उपर्युक्त वस्तु की उत्पादन लागत पर विचार कर निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाये गये अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

43. थाईलैंड से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.2. मलेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

सेगामट पैनल बोर्ड्स, एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी. मलेशिया में आधारित संबद्ध सामानों का एक उत्पादक एवं निर्यातक है। सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी. ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी. की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए सामान्य व्यापार प्रक्रिया (80:20) परीक्षण *** प्रतिशत बिक्री लाभप्रद दर्शाता है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को लेकर निर्धारित किया गया है। सेगामट पैनल बोर्ड्स एसडीएन. बीएचडी. ने अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निकाला गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मलेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

45. मलेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.3. इंडोनेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया**

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री इंडोनेशिया में आधारित संबद्ध सामानों का एक उत्पादक एवं निर्यातक है। पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए सामान्य व्यापार प्रक्रिया (80:20) परीक्षण *** प्रतिशत से कम बिक्री को लाभप्रद दर्शाता है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य उपयुक्त लाभ और सामान्य प्रशासनिक व्यय पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के बाद निर्धारित किया गया है। इस प्रकार परिकलित पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया में आधारित संबद्ध सामानों का एक उत्पादक एवं निर्यातक है। पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड की घरेलू बिक्री के संबंध में किए गए सामान्य व्यापार प्रक्रिया (80:20) परीक्षण *** प्रतिशत बिक्री लाभप्रद दर्शाता है। अतः जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य संबद्ध देश में पूरी घरेलू बिक्री को लेकर निर्धारित किया गया है। पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड ने अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद उसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निकाला गया सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

इंडोनेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

48. इंडोनेशिया से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.4. वियतनाम से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। तदनुसार, वियतनाम से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत**छ.5.1. थाईलैंड से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण****पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/उत्पादक)**

50. पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड ने अपने संबद्ध व्यापारी अर्थात् पैनल प्लस कं. लि. के साथ उत्तर दायर किया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर भारत को संबद्ध सामानों का *** सीबीएम निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, बैंक प्रभार, ऋण लागत, जहां भी लागू है, के निमित्त समायोजन कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली में उनके उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार किए गए हैं। तदनुसार, पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लि. के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक)

51. वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। यह नोट किया जाता है कि वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर के निवल बीजक मूल्य पर भारत को संबद्ध सामानों का *** सीबीएम निर्यात किया है। अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली में उनके उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार किए गए हैं। तदनुसार, वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

थाईलैंड से अन्य उत्पादक और निर्यातक

52. चूंकि थाईलैंड से संबद्ध सामानों के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी ने थाईलैंड से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.5.2. मलेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

सेगामट पैनल बोर्ड्स, एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया

53. सेगामट पैनल बोर्ड्स, एसडीएन. बीएचडी. ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। यह नोट किया जाता है कि सेगामट पैनल बोर्ड्स, एसडीएन. बीएचडी. ने जांच की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर भारत को संबद्ध सामानों का *** सीबीएम निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, ऋण लागत एवं बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली में उनके उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार किए गए हैं। तदनुसार, सेगामट पैनल बोर्ड्स, एसडीएन. बीएचडी. के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

मलेशिया से अन्य उत्पादक और निर्यातक

54. चूंकि मलेशिया से संबद्ध सामानों के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी ने मलेशिया से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.5.3. इंडोनेशिया से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री, इंडोनेशिया

55. पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। यह नोट किया जाता है कि पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री ने जांच की अवधि के दौरान भारत को सीधे ही *** अमेरिकी डॉलर के बीजक मूल्य पर भारत को संबद्ध सामानों का *** सीबीएम निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों, जहां भी लागू है, के निमित्त समायोजन कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली में उनके उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार किए गए हैं। तदनुसार, पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड, इंडोनेशिया

56. पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। यह नोट किया जाता है कि पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड ने जांच की अवधि के दौरान *** अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर भारत को संबद्ध सामानों का *** सीबीएम निर्यात किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजन कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए प्रश्नावली में उनके उत्तर में निर्यातक द्वारा दावा किए गए अनुसार किए गए हैं। तदनुसार, पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

इंडोनेशिया से अन्य उत्पादक और निर्यातक

57. चूंकि इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्राधिकारी ने इंडोनेशिया से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत निर्धारित की है।

छ.5.4. वियतनाम से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। असहयोग के मद्देनजर प्राधिकारी ने वियतनाम से निर्यातकों के संबंध में नियम 6(8) के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। वह नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गयी है।

छ.6 पाटन मार्जिन

59. उपर्युक्तानुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाता है:

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./सीबीएम)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./सीबीएम)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./सीबीएम)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
थाईलैंड	पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
	वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
	अन्य सभी	***	***	***	***	60-70
मलेशिया	सेगामट पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	30-40
	अन्य सभी	***	***	***	***	50-60
इंडोनेशिया	पैनल मुक्ति पैनल इंडस्ट्री	***	***	***	***	0-10
	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	***	***	***	***	0-10
	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
वियतनाम	सभी	***	***	***	***	40-50

ज. क्षति निर्धारण और क्षति तथा कारणात्मक संपर्क की जांच के लिए पद्धति

60. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." वे कारक शामिल होंगे जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदन पत्र ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/मैसर्स ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मैसर्स सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
62. सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने 14 अप्रैल, 2021 और 17 अप्रैल, 2021 के ई-मेल द्वारा अर्थात् प्रकटन विवरण किए जाने के बाद, इस जांच में घरेलू उद्योग के घटक के रूप में अपनी प्रतिभागिता वापस लेते हुए एक पत्र दायर किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के अंतिम चरण में इस प्रकार की वापसी यद्यपि किसी भी तरीके से जांच को जारी रखे जाने को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि शेष आवेदक का अब भी संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। तथापि, प्राधिकारी इस जांच में एक आवेदक के रूप में सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड की वापसी की अनुमति देते हुए, नोट करते हैं कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड ने इस प्रकार की जांचों में पूरी तरह से भाग लिया है, प्राधिकारी को सभी संगत सूचनाएं दी हैं, अपनी सूचना का सत्यापन पेश किया है और अपनी सूचना के सत्यापन के बाद स्वतंत्र लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लागत विवरण उपलब्ध कराया है। अतः प्राधिकारी ने क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना/आंकड़ों का प्रयोग किया क्योंकि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड की सूचना/आंकड़ों का प्रयोग करके समग्र रूप से घरेलू उद्योग की क्षति का मूल्यांकन इस स्थिति का अधिक प्रतिनिधि कारक होगा।

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

63. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- संबद्ध देशों का मांग में बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत है, जबकि घरेलू उद्योग का हिस्सा संबद्ध सामानों के लिए क्षमता में वृद्धि के बावजूद केवल 32 प्रतिशत है। घरेलू उत्पादकों के समग्र रूप से बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
 - पूर्ण दृष्टि से और देश में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।
 - आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती और ह्रास कर रहे हैं। सभी संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और पर्याप्त है।
 - घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है जिसके बावजूद आयात निरंतर उच्च स्तरों पर रहे हैं। क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान मालसूची में काफी वृद्धि हुई है।
 - पूरी क्षति की अवधि और जांच की अवधि में लाभ में काफी गिरावट आई है। नकद लाभ और आरओसीई भी लाभप्रदता की उसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं। कम होती कीमतों के बावजूद घरेलू उद्योग के समक्ष देश में आयातों के उसी स्तर की समस्या है।
 - जिन निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं, उनके निष्पादन मानदंड यह दर्शाते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाई जा रही है और यह कि शुल्क न लगाए जाने

की स्थिति में वास्तविक क्षति का खतरा है। निर्यातक उच्च निर्यातोन्मुखता, बढ़ी हुई क्षमताएं और भारत को निर्यात दर्शाते हैं तथा उनके पास काफी मालसूचियां हैं। भारत को निर्यातों की बिक्री कीमत में गिरावट आई है। यहां तक कि यद्यपि लागतों में वृद्धि हुई है।

- (vii) कोई भी अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहा है। वास्तविक क्षति और संबद्ध देशों से आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क है।
- (viii) मूल्यहास और वित्तीय लागत, उत्पादन, घरेलू बिक्री और उत्पादकता प्रतिदिन में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा नई क्षमताओं में वृद्धि के कारण है। तथापि, यहां तक कि यदि क्षमता में वृद्धि से पूर्व मूल्यहास के स्तर पर जांच की अवधि के लिए विचार किया जाए तो तब भी वह नकद लाभ में गिरावट दर्शाएगा और इस प्रकार यह सिद्ध करेगा कि गिरावट पाटित आयातों के कारण है।
- (ix) जहां तक रूशिल डेकर की वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि रूशिल डेकर भारत में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता नहीं है। जहां तक वार्षिक रिपोर्टों में सार्वजनिक विवरणों का संबंध है, वार्षिक रिपोर्टों में सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के पाटन का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान है।
- (x) जहां तक पृथक क्षति मार्जिन का संबंध है, डीजीटीआर की यह परिपाटी नहीं है कि वे संबद्ध पक्षकारों के लिए पृथक क्षति मार्जिन परिकलित करें और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सभी संबद्ध पक्षकारों के लिए एक क्षति मार्जिन परिकलित करें।
- (xi) जहां तक क्षमता विस्तार का संबंध है, विस्तार मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए किए गए थे जिसके बावजूद संबद्ध सामानों का काफी आयात हुआ है।
- (xii) संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। अतः यहां तक कि यदि आयातों की पहुँच कीमत बढ़ गई है तो भी वह लागत से कम थी और इसीलिए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- (xiii) जहां तक बाजार हिस्से पर हानिकारक प्रभाव का संबंध है, घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में उसकी क्षमताओं में वृद्धि किए जाने के बावजूद गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा बढ़ा है।
- (xiv) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। यहां तक कि यद्यपि लागतों में गिरावट आई है, तथापि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें लागत में गिरावट से कहीं अधिक कम करने के लिए मजबूर है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का हास हो रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा कीमत में कटौती के बावजूद आयात उसी स्तर पर जारी रहे हैं।
- (xv) जहां तक रोजगार मानदंडों का संबंध है, उस निमित्त क्षति का दावा नहीं किया गया है। क्षमताओं में वृद्धि के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है।
- (xvi) जहां तक जांच की अवधि के बाद की अवधि का संबंध है, जांच की अवधि के बाद की अवधि पर नई जांच में विचार करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, जैसा कि थाईलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से फिनोल के आयातों के संबंध में हाल के जांच परिणाम में पाया गया है।
- (xvii) जहां तक प्रतिस्पर्धा की स्थिति का संबंध है, उचित और अनुचित प्रतिस्पर्धा के बीच भेद किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अलग कानून है कि घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा उचित रहे। यदि आंतरिक प्रतिस्पर्धा ही बाजार में संचालन बल था, तो घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता।
- (xviii) निर्यात घरेलू उद्योग द्वारा कुल बिक्री का केवल 11 प्रतिशत है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता निर्यात बाजारों पर जोर दे रहे हैं। घरेलू उद्योग के पास भारत में पूरी मांग तथा वर्तमान स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के निर्यात को पूरा करने के लिए काफी क्षमताएं हैं।

- (xix) याचिकाकर्ता देश में पाटित सामानों की मौजूदगी के कारण संबद्ध सामानों का निर्यात करने के लिए मजबूर हैं। देश में संबद्ध सामानों का पाटन इस आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता संबद्ध सामानों का निर्यात कर रहे हैं।
- (xx) उत्तरदाताओं का यह दावा कि क्षति मोटे एमडीएफ बोर्ड के आयातों के कारण हो सकती है, वास्तविक रूप से गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने सिद्ध किया कि उसे विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- (xxi) संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास काफी क्षमताएं हैं, उच्च निर्यातोन्मुखता बनाए रखते हैं और भारी मालसूची रखते हैं, जिससे वास्तविक क्षति का काफी खतरा बन रहा है।
- (xxii) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दावे के विरुद्ध क्षमता के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। इनके तर्क सिद्ध नहीं हैं।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

64. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग को कोई पाटन अथवा परिणामी क्षति नहीं दर्शाई है अथवा यह दर्शाने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दिया है कि वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटित आयातों के कारण है।
- (ii) घरेलू उद्योग के अधिकतर आर्थिक मानदंडों के संबंध में बहुत सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट सीधे ही मूल्यहास और वित्तीय लागत में वृद्धि तथा भारी क्षमता वृद्धि के कारण है। कोई क्षति नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पाद, घरेलू बिक्री और प्रति दिन उत्पादकता बढ़ाई है।
- (iii) क्षति, यदि कोई है, तो वह क्षमता में वृद्धि, ब्याज लागतों में वृद्धि, रोजगार में असामान्य वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मंदी, घरेलू अधिक आपूर्ति आदि सहित अन्य कारकों के कारण है। रुशिल डेकर लि. की वार्षिक रिपोर्ट घरेलू उद्योग के कम निष्पादन के कारण बताती है। इसके अतिरिक्त, सेंचुरी प्लाई की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि निष्पादन नियंत्रित भूमि भवन क्षेत्र, मंद उपभोक्ता खर्च और घरेलू अधिक आपूर्ति के कारण प्रभावित हुआ था।
- (iv) संबद्ध कंपनियों के क्षति मार्जिन का परिकलन पृथक रूप से किया जाना चाहिए। क्षति के संबंध में थाईलैंड कि विरुद्ध याचिका में दिए गए आरोप सिद्ध नहीं हैं।
- (v) प्रस्तुत किया गया क्षति संबंधी आंकड़ा भ्रामक है क्योंकि याचिकाकर्ता जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान क्षमता विस्तार में लगा हुआ था जो कि संभव नहीं होता, यदि घरेलू उद्योग के सामने वास्तविक क्षति की स्थिति थी। इसके अतिरिक्त, विस्तार क्रियाकलापों से जांच की अवधि के बाद के भाग तथा जांच की अवधि के बाद में परिणाम आने शुरू हुए क्योंकि उनकी बिक्री घरेलू बाजार में ही सुधरी जो यह सिद्ध करता है कि क्षमता उपयोग ही बढ़ा था। घरेलू उद्योग की क्षमता संबंधी कठिनाईयां आयातों के पीछे कारण थीं और इसीलिए पाटन का आरोप औचित्यहीन है।
- (vi) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहुँच कीमत के संचलन और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई संपर्क सिद्ध नहीं किया जा सकता। वे विपरीत ढंग से आनुपातिक पाए जाते हैं।
- (vii) संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं था।
- (viii) यद्यपि संबद्ध देशों से इन वर्षों में कीमत कटौती कम हुई अथवा एक तुलनीय रेंज में रही, जैसा कि थाईलैंड के मामले में है, तथापि उसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं रहा। घरेलू उद्योग उस समय भी उच्च कीमत बनाए रखने में सक्षम था, जब लागत में काफी गिरावट थी। इस अवधि के दौरान एनएसआर में न्यूनतम गिरावट थी, जब संबद्ध देशों से पहुँच कीमत कम हुई।

- (ix) रोजगार, वृद्धि आदि जैसे मानदंडों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बेहतर निष्पादन दर्शाया।
- (x) याचिकाकर्ता के जांच की अवधि के बाद के निष्पादन पर जांच की अवधि के दौरान कारणात्मक संपर्क मापने के लिए मानदंड के रूप में विचार किया जाना चाहिए जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी पाटनरोधी शुल्क के काफी वृद्धि की है।
- (xi) भारतीय उत्पादकों के भीतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति से याचिकाकर्ताओं का निष्पादन प्रभावित हुआ, न कि इंडोनेशिया से आयातों के कारण। कोई भी संभावित क्षति स्व-प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता निर्यातों पर जोर देते रहे हैं क्योंकि निर्यात बिक्री मात्रा अत्यधिक बढ़ी है। विचाराधीन उत्पाद का आयात याचिकाकर्ताओं के भारी निर्यात पैमाने को पूरा करने के लिए था।
- (xii) प्रमुख निर्यात बाजार मध्य पूर्व है जिसके बाद एशियाई बाजार हैं। थाई निर्यात 2017-18 में 33468 मी. टन से घटकर 22328 मी. टन हो गए। थाई निर्यातों में गिरावट आवेदकों की आरोपित क्षति का समर्थन नहीं करती।
- (xiii) चूंकि इस उद्योग में पतले बोर्ड के उत्पादन के लिए समर्पित लाइन नहीं है और चूंकि घरेलू उद्योग ने मोटे एमडीएफ बोर्ड के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति जारी रहने का आरोप लगाया है, अतः यह संभव है कि घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति मोटे एमडीएफ के आयातों के कारण हुई।
- (xiv) याचिकाकर्ता ने निरंतर और अच्छी दर पर अपनी कीमतें बढ़ाई हैं। मात्रा को ध्यान में न रखते हुए इंडोनेशिया से आयात भारत में बाजार मांग को पूरा करने के लिए है और विद्यमान मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए है। याचिकाकर्ता के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बाजार हिस्सा सकारात्मक था और 2017-18 से जांच की अवधि तक उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है।
- (xv) घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित विभिन्न निर्यातकों की तालिकाएं घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों की तरह कुल मिलाकर समान प्रवृत्ति दर्शाती हैं।
- (xvi) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो क्षति तथा वास्तविक क्षति के खतरे, दोनों की जांच की अनुमति दे। क्षति तथा वास्तविक क्षति के खतरे का दावा साथ-साथ नहीं हो सकते।
- (xvii) आयातों की मात्रा में 2017-18 की तुलना में गिरावट आई है, जबकि जांच की अवधि में नगण्य वृद्धि हुई है। जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, जांच की अवधि में आयातों में गिरावट रही है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 65. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को निम्नलिखित रूप में हल करता है।
- 66. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देश से उत्पाद के आयातों की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि:-
 - क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां अलग देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक है, और
 - ख) आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग. आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उन प्रत्येक द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा नहीं करता बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करता है।

68. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं।

69. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." वे कारक शामिल होंगे जो घरेलू उद्योग को क्षति दर्शा सकते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

70. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की जाती है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया जाता है।

71. जहां तक जांच की अवधि के बाद के लिए सूचना पर विचार करने का तर्क है, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक नई जांच होने के नाते जांच की अवधि के बाद की सूचना पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ज.3.1 मांग का मूल्यांकन

72. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा परिभाषित की है। इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	125	130	146
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	97	115	115
से आयात - संबद्ध देश	सीबीएम	72,183	124,699	121,327	121,259
इंडोनेशिया	सीबीएम	30,254	34,788	36,177	35,619
मलेशिया	सीबीएम	21,462	14,531	30,194	29,798
थाईलैंड	सीबीएम	17,449	56,256	35,269	42,109
वियतनाम	सीबीएम	3,019	19,124	19,687	13,733

अन्य देशों से आयात	सीबीएम	8,153	12,344	9,457	9,064
भारत में कुल मांग	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	142	143	148
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	88	91	98
अन्य भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	68	80	78
से आयात - संबद्ध देश	%	***	***	***	***
इंडोनेशिया	%	***	***	***	***
मलेशिया	%	***	***	***	***
थाईलैंड	%	***	***	***	***
वियतनाम	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	***	***	***	***
कुल मांग	%	100	100	100	100

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में मांग पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि में बढ़ी है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

74. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

आयात मात्रा	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
से आयात – संबद्ध देश	सीबीएम	72,183	124,699	121,327	121,259
इंडोनेशिया	सीबीएम	30,254	34,788	36,177	35,619
मलेशिया	सीबीएम	21,462	14,531	30,194	29,798
थाईलैंड	सीबीएम	17,449	56,256	35,269	42,109
वियतनाम	सीबीएम	3,019	19,124	19,687	13,733
अन्य देशों से आयात	सीबीएम	8,153	12,344	9,457	9,064
कुल आयात मात्रा	सीबीएम	80,336	137,043	130,785	130,322
के संबंध में संबद्ध देश आयात					
आयात	%	89.85	90.99	92.77	93.05
कुल भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	156	130	121
कुल भारतीय मांग	%	***	***	***	***

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2017-18 में वृद्धि हुई और 2018-19 तथा जांच की अवधि में गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष 2016-17 से तुलना करने पर संबद्ध देशों से आयातों में पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन एवं स्पष्ट खपत के संबंध में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

76. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण एवं कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित है।

i. कीमत कटौती

77. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या उन आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतों को कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, सभी निवल छूटों और करों के बीच तुलना व्यापार के उसी स्तर पर की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./सीबीएम	***	***	***	***
सम्पूर्ण रूप में संबद्ध देश					
पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	14,232	13,223	13,786	13,297
कीमत कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	60-70	70-80	40-50	40-50
इंडोनेशिया					
पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	15,322	14,673	14,807	14,444
कीमत कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	50-60	50-60	30-40	30-40
मलेशिया					
पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	14,068	14,936	15,058	14,109
कीमत कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	60-70	50-60	30-40	30-40
थाईलैंड					
पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	12,914	12,223	12,230	11,780
कीमत कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	70-80	90-100	60-70	60-70
वियतनाम					
पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	12,094	12,223	12,747	13,214

कीमत कटौती	रु./सीबीएम	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	90-100	90-100	50-60	40-50

78. यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक संबद्ध देश की आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रही हैं।

ii. कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण

79. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने तथा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच नीचे की गई है। स्थिति निम्नलिखित तालिका के अनुसार दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	111	98
निवल बिक्री वसूली	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	88	84
संबद्ध देशों से पहुँच कीमत	रु./सीबीएम	14,232	13,223	13,786	13,297
प्रवृत्ति		100	93	97	93

80. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत जांच की अवधि के दौरान बिक्री लागत से कम है। घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत, दोनों में क्षति की अवधि में गिरावट आई, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण और ह्रास, दोनों कर रहे हैं।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

81. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

82. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री पर विचार किया है और निम्नलिखित नोट करते हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता – संयंत्र	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	155	360	410
उत्पादन मात्रा – संयंत्र	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	123	178	236

क्षमता उपयोग - संयंत्र	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	80	49	58
उत्पादन मात्रा - विचाराधीन उत्पाद	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	118	137	152
घरेलू बिक्री - विचाराधीन उत्पाद	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	125	130	146

83. यह नोट किया जाता है कि:

क. क्षमता क्षति की अवधि में और जांच की अवधि में बढ़ी है। यह देखा जाता है कि क्षमता में वृद्धि नई क्षमताओं की स्थापना के कारण है।

ख. घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में पूरी क्षति की अवधि और जांच की अवधि में वृद्धि हुई। घरेलू बिक्री ने भी उत्पादन की तरह वही प्रवृत्ति दर्शाई है। क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि में जांच की अवधि को छोड़कर गिरावट आई है जिसमें उसने कुछ सुधार दर्शाया है। तथापि, क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता में निरंतर वृद्धि के कारण है।

ii. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

84. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	88	91	98
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	68	80	78
से आयात - संबद्ध देश	%	***	***	***	***
अन्य देश	%	***	***	***	***
कुल मांग	%	100	100	100	100

85. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि के बावजूद समान क्षेत्र में रहा है। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, आयातों का घरेलू उत्पादकों के पास काफी क्षमताओं के बावजूद भारी हिस्सा है।

iii. मालसूची

86. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
मालसूची - औसत	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	243	334	495

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में क्षति की अवधि और उसके बाद जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।

iv. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

88. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	111	98
विक्री कीमत	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	101	88	84
कर पूर्व लाभ	रु./सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	93	26	44
कर पूर्व कुल लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	116	33	64
ब्याज पूर्व कुल लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	119	44	72
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	130	57	82
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	59	16	35

89. यह देखा जाता है कि:

- क. लाभप्रदता ने क्षति की अवधि में काफी गिरावट दर्शाई है। कर पूर्व सकल लाभ और नकद लाभ 2017-18 में बढ़ा, परंतु उसके बाद उसमें काफी गिरावट आई है। जांच की अवधि में नकद लाभ आधार वर्ष के नकद लाभ की अपेक्षा कम था। कर पूर्व लाभ विशेष रूप से आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी कम था।
- ख. नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) में 2018-19 तक तेजी से गिरावट आई। यहां तक कि यद्यपि आरओसीई में जांच की अवधि में सुधार हुआ तो वह कम स्तर पर था।
- ग. लाभप्रदता कर पूर्व सकल लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय सभी ने आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट दर्शाई।
- घ. घरेलू उद्योग ने काफी क्षमता और उत्पादन बढ़ाया है। तथापि घरेलू उद्योग के लाभ में पूर्व स्तरों की तुलना में गिरावट आई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	137	246	269
प्रति दिन उत्पादकता	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	141	137	152
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सीबीएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	87	56	56
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	167	246	254

91. यह नोट किया जाता है कि रोजगार, मजदूरी और प्रति दिन उत्पादकता पूरी क्षति अवधि में काफी बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते।

vi. वृद्धि

92. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे दर्शाई गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	17.88	15.90	11.04
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	24.89	3.82	12.36
क्षमता उपयोग	%	-	(20.42)	(37.87)	16.63
घरेलू लाभ/हानि	%	-	(7.27)	(72.44)	72.55
औसत स्टॉक	%	-	143.01	37.53	48.18

93. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के संदर्भ में वृद्धि पूर्व वर्ष से तुलना करने पर सकारात्मक है।

vii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू कीमतें देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण प्रभावित हुई हैं।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

95. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह देश में काफी मांग के बावजूद कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता रहा है और इससे घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है।

ix. पाटन की मात्रा

96. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

झ. क्षति संबंधी समग्र निष्कर्ष

97. वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों में सकल आयातों की तुलना में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। यहां तक कि यद्यपि संबद्ध आयातों ने पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आंशिक गिरावट दर्शाई है, तथापि जांच की अवधि में आयातों का स्तर अब भी काफी अधिक और आधार वर्ष में दर्ज स्तरों से अधिक है। संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत से कम होने के नाते संबद्ध देशों से आयात भारी रूप में क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का भी न्यूनीकरण एवं ह्रास, दोनों कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संबंध में ह्रास हुआ है। लाभप्रदता ने क्षति की अवधि में काफी गिरावट दर्शाई है। नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) में 2018-19 तक तेजी से गिरावट आई और यहां तक कि यद्यपि उसमें जांच की अवधि में सुधार हुआ, तथापि वह इष्टतम से कम स्तर पर थी। लाभप्रदता कर पूर्व सकल लाभ और नियोजित पूंजी पर आय सभी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई। यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में सुधार हुआ है, तथापि वह घरेलू उद्योग द्वारा किए गए काफी नए निवेशों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, कीमत संबंधी मानदंडों (लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय) में गिरावट उत्पादन और घरेलू बिक्री में सुधार से कहीं अधिक है।

ञ. गैर-आरोप्य विश्लेषण

98. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि ने उन पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करें जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही है ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य बातों के

साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इसकी जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पादों के आयातों की मात्रा न्यूनतम मात्राओं में है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

100. संबद्ध सामानों के लिए पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में परिवर्तन नहीं हो सकते, अतः घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हुआ।

ग. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

101. यह नोट किया जाता है कि क्षति विश्लेषण घरेलू निष्पादन के आधार पर है। अतः क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

102. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ङ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

103. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न उत्पादों के संबंध में अपने निष्पादन को अलग किया है। जो उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे हैं, वे अन्य उत्पाद क्षति का कारण नहीं हैं।

च. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां एवं विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

104. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है और वे देश में स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। घरेलू उत्पादक संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत संबद्ध सामानों की पहुँच कीमत से काफी प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त, यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

छ. उत्पादकता

105. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पूरी क्षति अवधि में सुधार हुआ है और यह सुधार नई क्षमताओं में वृद्धि के कारण है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति इस निमित्त नहीं है।

ट. कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक

106. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को उपर्युक्त सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कारक यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है:

क. संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री लागत से कम होने के नाते संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति जांच अवधि में घरेलू कीमतों की भारी रूप में कटौती कर रहे हैं।

ख. इन कम कीमत वाले आयातों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर न्यूनीकरण तथा ह्रासमान प्रभाव हैं।

ग. घरेलू उद्योग को हुए कीमत न्यूनीकरण तथा ह्रास से उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई।

107. इस प्रकार, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

108. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देशों से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
109. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (भारतीय रु./सीबीएम)	पहुँच कीमत (भारतीय रु./सीबीएम)	क्षति मार्जिन (भारतीय रु./सीबीएम)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./सीबीएम) (%)	क्षति मार्जिन (रेंज % में)
थाईलैंड	पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
	वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
	अन्य सभी	***	***	***	***	30-40
मलेशिया	सेगामट पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	20-30
	अन्य सभी	***	***	***	***	40-50
इंडोनेशिया	पैनल मुक्ति पैनल इंडस्ट्री	***	***	***	***	15-25
	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	***	***	***	***	10-20
	अन्य सभी	***	***	***	***	25-35
वियतनाम	सभी	***	***	***	***	35-45

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

110. प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्य प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए, 07 अप्रैल, 2021 को प्रकटन विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उठाए गए अधिकतर मुद्दे पूर्व में पहले ही उठाए गए हैं और उनका उचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। संगत माने गए अतिरिक्त अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

111. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एसपीवी पैनल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि वह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के उप नियम 2 के उल्लंघन में है।

- ख. पैन्ल प्लस का पाटन मार्जिन नकारात्मक नहीं हो सका क्योंकि थाईलैंड से 50 प्रतिशत निर्यात इस कंपनी द्वारा किए जाते हैं और 75 प्रतिशत आयात 15,000 रुपये/सीबीएम (सीआईएफ) से कम कीमत पर हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया निर्यात कीमत का विस्तृत सत्यापन केवल अन्य उत्तरदाता निर्यातकों से उसकी तुलना करके ही न करें बल्कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के साथ उसकी तुलना करके भी करें।
- ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे वियतनाम के मामले में सामान्य मूल्य के लिए विचार किए गए तथ्य प्रकट करें। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए नहीं ली जा सकती क्योंकि अनुबंध-1 में सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए वास्तविक उत्पादन लागत निर्धारित है न कि अन्य कोई निर्देशात्मक उत्पादन लागत।
- घ. जब संबद्ध निर्यातक की कच्ची सामग्री की कीमतों का सरकारी हस्तक्षेप के कारण ह्रास होता है तो वह उचित बाजार मूल्य नहीं दर्शाता। अतः ऐसी स्थिति में सामान्य मूल्य उत्पादन लागत और बिक्रित न हुई कीमतें दर्शाने वाली बिक्री अथवा निर्धारणों के आधार पर निर्मित की जानी चाहिए। संबद्ध देशों में निर्यातकों की कच्ची सामग्री की कीमतें बाजार कीमतें नहीं दर्शाती हैं और सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए रद्द की जानी चाहिए।
- ङ. पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित तर्कों पर प्रकटन विवरण में विचार नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि वर्तमान जांच में अंतिम जांच परिणामों के लिए वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी की जांच की जाए।
- च. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई चिंता नहीं उठाई गई है। यह दर्शाता है कि वे यह नहीं मानते कि पाटनरोधी शुल्क का उन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनहित पर पाटनरोधी उपायों के प्रभावों का अध्ययन विभिन्न पक्षकारों के हितों के परिप्रेक्ष्य से किया जाना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाना उत्पादकों, उपभोक्ताओं, प्रयोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता के हित में होगा और इससे देश तथा घरेलू उद्योग को आयातों पर अपनी निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

112. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- छ. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अन्य घरेलू उत्पादकों, जो अन्य जांचों में प्राधिकारी के समक्ष आए, को "घरेलू उद्योग" के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग के घटकों का क्षति एवं क्षति मार्जिन के मूल्यांकन पर सीधा एवं वास्तविक प्रभाव होगा।
- ज. उत्तरदाता इस बात को दोहराते हैं कि विभिन्न आवेदन पत्रों के माध्यम से घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के बार-बार किए गए दावे के साथ-साथ घरेलू उद्योग को दिए गए कई व्यापार उपचारात्मक संरक्षण अपरिहार्य निष्कर्ष दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, आरोपित पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण है।
- झ. अन्य घरेलू उत्पादक बाजार में अधिक बेहतर निष्पादन कर रहे हैं और भारतीय बाजार में कीमतें उन उत्पादकों द्वारा पेश की गई प्रतिस्पर्धी कीमतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में, इसका कोई कारण नहीं है कि अन्य उत्पादकों से संबंधित आंकड़ों को जांच के प्रकटन पश्चात स्तर पर भी अंतिम निर्धारण करने से पूर्व क्यों न मंगाया जाए।
- ञ. प्राधिकारी द्वारा 8 अप्रैल, 2021 के ई-मेल द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने 80:20 अलग परीक्षण करने के लिए हमारी दावा की गई लागत के विरुद्ध सामान्य मूल्य के रूप में विचार किया है। प्राधिकारी को 80:20 परीक्षण करने और सामान्य मूल्य के लिए उत्तरदाता द्वारा दावा की गई वास्तविक लागत पर विचार करना चाहिए क्योंकि वह एकल उत्पाद कंपनी है और उत्तरदाता द्वारा लगाई गई वास्तविक लागत लेखाबहियों में ली गई है।
- ट. घरेलू उद्योग को तथाकथित पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

- ठ. क्षमता में वृद्धि के अनुरूप घरेलू उद्योग अधिक उत्पादन करने और बिक्री करने की स्थिति में था। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्षमता में काफी वृद्धि के बाद भी बढ़ा।
- ड. लाभप्रदता और आरओसीई में तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग मात्रा और कीमत संबंधी मानदंडों, दोनों के संदर्भ में जांच की अवधि के दौरान प्रभावी और गैर-क्षतिकारक स्थिति में था।
- ढ. यद्यपि प्रकटन विवरण कीमत कटौती दर्शाता है, तथापि यहां जो नोट करने वाली बात है, वह यह है कि इन वर्षों में कीमत कटौती में काफी कमी हुई, क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी कीमतें उच्चतर स्तर पर बनाए रखने में सक्षम था।
- ण. जांच की अवधि के बाद के विश्लेषण की नई जांच में आवश्यकता नहीं है, परन्तु ये आंकड़े मंगाने के लिए कानून के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है। सेंचुरीप्लाई के प्रकाशित परिणाम एमडीएफ प्रभाग के लिए हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद शामिल होना चाहिए। ग्रीनप्लाई के लिए उपलब्ध आंकड़े समग्र रूप से कंपनी के लिए हैं। ये आंकड़े जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मंगाने और विशेष रूप से जांच की अवधि के बाद की अवधि में वास्तविक वृद्धि मापने के लिए याचिकाकर्ताओं से विचाराधीन उत्पाद के लिए सशक्त मामला बनाते हैं और ऐसी स्थिति नहीं हो सकता कि एमडीएफ प्रभाग ने अच्छा कार्य किया, परन्तु विचाराधीन उत्पाद ने अच्छा निष्पाद नहीं किया।
- त. अनुबंध-II के पैरा (iv) में निर्धारित आर्थिक मानदंडों का समग्र विश्लेषण यह प्रकट करता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में काफी सुधार हुआ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा अधिकतर अनुरोध पुनरावृत्ति की प्रकृति के हैं और उन्हें प्रकटन विवरण में पहले ही पूर्व में हल कर दिया गया था। उपर्युक्त जांच परिणाम यथा तथ्यतः पक्षकारों के *इन तर्कों* से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्यत्र हल न किए गए और संगत सीमा तक निम्नलिखित रूप में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है:
 - क. इस दावे के संबंध में कि पैनल प्लस के लिए पाटन मार्जिन नकारात्मक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी निर्यात कीमत भारत को अधिकतर निर्यात मात्राओं के लिए कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग सामान्यतः निर्यात कीमत देखकर सकारात्मक पाटन मार्जिन नहीं मान सकते। पाटन मार्जिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच का अंतर होता है और इसीलिए कम निर्यात कीमत सकारात्मक पाटन मार्जिन की संभावना ही बढ़ा सकता है, परंतु वह अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति में नकारात्मक पाटन मार्जिन की संभावना को नकार नहीं सकता। प्राधिकारी ने पैनल प्लस के लिए अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।
 - ख. जहां तक कच्ची सामग्री के ह्रास के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि कच्ची सामग्री की कीमतों का संबद्ध देशों में ह्रास हुआ है और अपने तर्क को सत्यापन योग्य सूचना से सिद्ध नहीं किया है।
 - ग. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी ने वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी निर्धारित नहीं की है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति है। अतः घरेलू उद्योग का इसे दावे की कि वास्तविक क्षति का खतरा भी है, जांच करना आवश्यक नहीं है।
 - घ. जहां तक इस दावे का संबंध है कि उपभोक्ताओं ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर आपत्ति नहीं की है और न ही प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। वर्तमान जांच परिणाम हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सूचना के आधार पर हैं।
 - ड. जहां तक इस दावे का संबंध है कि अन्य घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को अन्य घरेलू उत्पादकों सहित प्राधिकारी

को संगत सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। प्राधिकारी किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा जांचों में प्रतिभागिता किए जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्राधिकारी ने उन सभी कंपनियों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है जिन्होंने संगत सूचना दी है। तथापि, घरेलू उद्योग के अधिकारों को केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता कि कुछ घरेलू उत्पादकों ने घरेलू उद्योग के रूप में आवेदन पत्र में शामिल न होने को प्राथमिकता दी। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाए कि अन्य घरेलू उत्पादकों को शामिल न किए जाने के कारण क्षति निर्धारण विक्रित हुआ है। रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या जिन घरेलू उत्पादकों की सूचना रिकॉर्ड में है, उन्हें पाटनरोधी नियामवली के तहत घरेलू उद्योग के रूप में सामूहिक रूप से माना जा सकता है।

- च. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विभिन्न आवेदन पत्रों के माध्यम से घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के बार-बार किए गए दावे के साथ-साथ अनेक व्यापार उपचारात्मक उपाय यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, आरोपित पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों सहित सभी ज्ञात कारकों की जांच करने के बाद किया गया है।
- छ. जहां तक इस दावे का संबंध है कि अन्य घरेलू उत्पादक बेहतर निष्पादन कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए सभी क्षति मानदंडों के संबंध में संगत सूचना नहीं दी है कि अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह मूल्यांकन करें कि घरेलू उद्योग बनने वाले घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है अथवा नहीं।
- ज. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग को मात्रा एवं कीमत संबंधी मानदंडों में सुधार के कारण क्षति नहीं हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने यह निर्धारित करने से पूर्व उपर्युक्त अंतिम जांच परिणामों में सभी संगत क्षति मानदंडों का व्यापक मूल्यांकन किया है कि समग्र मूल्यांकन यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।
- झ. जहां तक इस दावे का संबंध है कि प्राधिकारी को वास्तविक क्षति के अपने मूल्यांकन की पुष्टि करने के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का मूल्यांकन करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन जांच की अवधि सहित क्षति जांच की अवधि के आधार पर है। मूल जांच में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही किसी विशेष जांच में जांच की अवधि के बाद पर चुनिंदा रूप से विचार करना उपयुक्त होगा।
- ञ. जहां तक वियतनाम के सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित दावों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने नियमों के अनुसार और संबंधित पक्षकारों द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- ट. जहां तक सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उत्पादन लागत पर विचार करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा दावा की गई उत्पादन लागत पर विचार किया है और निर्यातकों द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं को ध्यान में रखने के बाद तथा उपयुक्त समायोजन करने के बाद यह निर्धारित किया है।

ढ. भारतीय उद्योग का हित एवं सार्वजनिक हित

114. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाने का सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों, उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के आधार पर है।
115. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराए जाने के लिए, उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित, प्रयोक्ताओं/

उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। फेरोक बोर्डर्स लिमिटेड को छोड़कर किसी भी प्रयोक्ता ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए। इसके अतिरिक्त, फेरोक बोर्डर्स लिमिटेड मॉलडेड डूर स्किन का प्रयोक्ता है जो जांच का विषय नहीं है और इसीलिए उसका वर्तमान जांच में कोई संबंध नहीं है। एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (एएफएमआई) ने अनुरोध दायर किए हैं, परन्तु उसके किसी भी सदस्य ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं। एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अनुरोधों को इस निर्धारण में ध्यान में रखा गया है। एसोसिएशन ने भी उपभोक्ताओं और कुल मिलाकर जनता पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव दर्शाने के लिए कोई मात्रापरक तथा सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और विस्तार से यह बताने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। यहां तक कि एसोसिएशन ने भी इस संबंध में कोई मात्रापरक और सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है।

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
117. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित किया जाता है, कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में नई क्षमताएं स्थापित कर दी गई हैं जो पूरी भारतीय मांग का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अतिरिक्त, यह उत्पाद देश में कई घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित एवं बिक्री किया जाता है जो काफी घरेलू प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

ण. निष्कर्ष

118. उठाए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, दी गई सूचना और उपर्युक्त रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, तथा पाटन के उपर्युक्त विश्लेषण तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
 - (i) मैसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड/मैसर्स ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड सहित अथवा उसके बिना नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।
 - (ii) चूंकि घरेलू उद्योग मॉलडेड डूर स्किन्स का विनिर्माण नहीं कर रहा है, अतः उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है।
 - (iii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
 - (iv) संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए प्रत्येक संबद्ध निर्यातक तथा देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड को छोड़कर न्यूनतम से अधिक है।
 - (v) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों में कुल आयातों की तुलना में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। यहां तक कि यद्यपि संबद्ध आयातों ने पूर्ण वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में आंशिक गिरावट दर्शाई है, तथापि जांच की अवधि में आयातों का स्तर आधार वर्ष में

पंजीकृत स्तर से अधिक और काफी अधिक है। संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में बिक्री कीमत से कम होने के नाते संबद्ध देशों से आयात भारी मात्रा में घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों पर भी न्यूनीकरण तथा ह्रासमान, दोनों प्रभाव डाल रहे हैं। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय जैसे विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संबंध में गिरावट आई है। लाभप्रदता ने क्षति की अवधि में काफी गिरावट आई है। नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) में 2018-19 तक तेजी से गिरावट आई और यहां तक कि यद्यपि उसमें जांच की अवधि में सुधार हुआ, तथापि वह इष्टतम से कम स्तर पर थी। लाभप्रदता कर पूर्व सकल लाभ और नियोजित पूंजी पर आय सभी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।

- (vi) घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण क्षति हुई है।
- (vii) यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन एवं घरेलू बिक्री के संबंध में सुधार हुआ है, तथापि वह घरेलू उद्योग द्वारा किए गए काफी नए निवेशों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, कीमत संबंधी मानदंडों (लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय) में गिरावट उत्पादन और घरेलू बिक्री में सुधार से कहीं अधिक है।
- (viii) यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने और विस्तार से यह बताने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए प्रपत्र निर्धारित किए हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है।

त. सिफारिशें

119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और उनके कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरू किए जाने और जांच किए जाने पर तथा उन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा वास्तविक क्षति सिद्ध होने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
120. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए वियतनाम, मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात पर संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य और नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम ई गई राशि केमें दर्शा 7 बीच के अंतर के रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, बशर्ते कि पहुँच मूल्य शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो।
121. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों से लागू स्तर पर सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	वियतनाम	वियतनाम सहित अन्य कोई देश	अन्य कोई उत्पादक	255.35	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
2.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य कोई देश	वियतनाम	अन्य कोई उत्पादक	255.35	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
3.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	मलेशिया	मलेशिया सहित अन्य कोई देश	सेगामट पैनल बोर्ड एसडीएन. बीएचडी.	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
4.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	मलेशिया	मलेशिया सहित अन्य कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 3 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
5.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य कोई देश	मलेशिया	कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
6.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	थाईलैंड	थाईलैंड सहित अन्य कोई देश	पैनल प्लस एमडीएफ कंपनी लिमिटेड	शून्य	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
7.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	थाईलैंड	थाईलैंड सहित अन्य कोई देश	वानाचर्ड पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
8.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	थाईलैंड	थाईलैंड सहित अन्य कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 6 और 7 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
9.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य कोई देश	थाईलैंड	कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित अन्य कोई देश	पीटी मुक्ति पैनल इंडस्ट्री	227.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
11.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित अन्य कोई देश	पीटी सुमाटेरा प्राइमा फाइबरबोर्ड	244.60	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
12.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित अन्य कोई देश	उपर्युक्त क्रम सं. 10 और 11 में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर अन्य कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर
13.	4411	6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड*	वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य कोई देश	इंडोनेशिया	कोई उत्पादक	258.42	सीबीएम	अमेरिकी डॉलर

* लेमिनेटेड मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड (लेमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। 6 एमएम या उससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया गया है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद "6 एमएम से कम मोटाई वाला प्लेन मीडियम डेनसिटी फाइबर बोर्ड" है। मॉल्डेड डोर स्किन्स भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

थ. आगे की प्रक्रिया

122. इस सिफारिश के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 20th April, 2021

Case No. ADD-OI-11/2020

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of 'Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm' originating in or exported from Vietnam, Malaysia, Thailand and Indonesia.

F. No. 6/13/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Greenply Industries Limited/ M/s Greenpanel Industries Limited, and M/s Century Plyboards (India) Ltd. (hereinafter referred to as the "Applicants" or "Domestic Industry") filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"), for initiation of original anti-dumping investigation concerning imports of Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm (hereinafter also referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from Vietnam, Malaysia, Thailand and Indonesia.
2. Based on the substantiated application with prima facie evidence of dumping and injury filed by the Applicants, the Authority initiated an anti-dumping investigation vide Notification No. 6/13/2020 – DGTR dated 22nd April, 2020, published in the Gazette of India, in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged material injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
 - ii. The Authority issued a Notification dated 22nd April, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 60 days from the receipt of notice in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - v. The Embassy of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s. Evergreen Fibre Berhad (JB) Sdn. Bhd., Malaysia
 - b. M/s. Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd., Malaysia
 - c. M/s. Robin Resources (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia

- d. M/s. Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., Malaysia
 - e. M/s. Advance Fibre Company Limited, Thailand
 - f. M/s. KhonKaen MDF Board Company Limited, Thailand
 - g. M/s. Vanachai Panel Industries Company Limited, Thailand
 - h. M/s. Siam Fibreboard Company Limited, Thailand
 - i. M/s. Metro Fiber Company Limited, Thailand
 - j. M/s. Vanachai Group Public Company Limited, Thailand
 - k. M/s. Metro M.D.F. Company Limited, Thailand
 - l. M/s. PT AndalanKaryaBersama, Indonesia
 - m. M/s. P.T. Sumatera Prima Fibre Board, Indonesia
 - n. M/s PT Hijau Lestari Raya Fibreboard, Indonesia
 - o. M/s. Kim Tin MDF Trading Company Limited, Vietnam
 - p. M/s. MDF VRG Quang Tri Joint Stock Company, Vietnam
 - q. M/s. Hong Duong Bamboo and Rattan Company Limited, Vietnam
 - r. M/s. Vietnam Wooden Board Company Limited, Vietnam
 - s. M/s. Vitranexco Limited Company, Vietnam
 - t. M/s. VRG Dongwha MDF Limited, Vietnam
 - u. M/s. Kim Tin Group Joint Stock Company Limited, Vietnam
- vii. The following producers/exporters from the subject countries filed exporter's questionnaire response:
- a. M/s. Vanachai Panel Industries Company Limited, Thailand
 - b. M/s. Vanachai Group Public Company Limited, Thailand
 - c. Panel Plus MDF Company Limited, Thailand
 - d. Panel Plus Company Limited, Thailand
 - e. M/s. Segamat Panel Boards SDN BHD, Malaysia
 - f. M/s. Magna Foremost SDN BHD, Malaysia
 - g. M/s. Grand Paragon SDN BHD, Malaysia
 - h. M/s. Masonite Components Unlimited Company, Ireland
 - i. M/s. PT Sumatera Prime Fibreboard, Indonesia
 - j. M/s. PT Mukti Panel Industri, Indonesia
 - k. M/s. S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, Thailand
 - l. M/s. Wisewoods Company Limited, Thailand
 - m. M/s. SPB Panel Industries Company Limited, Thailand
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
- a. M/s Krishna Plywood Products Private Limited
 - b. M/s Jacsons Veneers And Panels Private Limited

- c. M/s Label Sales Corporation
 - d. M/s Kalinga Imports & Exports Private Limited
 - e. M/s Srivari Traders
 - f. M/s Victory Plywood Distributors
 - g. M/s Thamarapally Brothers Trading Private Limited
 - h. M/s Mathewsons Exports & Imports Private Limited
 - i. M/s R.J.Metals
 - j. M/s Feroke Boards Limited
- ix. The following importers/users/user associations have filed submissions or questionnaire responses in the present investigation.
- a. M/s. Feroke Boards Limited
 - b. M/s. Ranga Overseas Private Limited
 - c. Thamarappally Brothers Veneers and Panel Pvt. Ltd
 - d. Association of Furniture Manufacturers of India (AFMI)
- x. The following interested parties have filed legal submissions and/or letters of participation in response to the initiation notification:
- a. M/s. Vanachai Group Public Company Limited, Thailand
 - b. M/s. Vanachai Panel Industries Company Limited, Thailand
 - c. Panel Plus MDF Company Limited, Thailand
 - d. Panel Plus Company Limited, Thailand
 - e. M/s. Segamat Panel Boards SDN BHD, Malaysia
 - f. M/s. Magna Foremost SDN BHD, Malaysia
 - g. M/s. Grand Paragon SDN BHD, Malaysia
 - h. M/s. Masonite Components Unlimited Company, Ireland
 - i. M/s. PT Sumatera Prime Fibreboard, Indonesia
 - j. M/s. PT Mukti Panel Industri, Indonesia
 - k. Thai Panel Product Industry Club, Thailand
 - l. Government of Indonesia
- xi. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed.
- xiii. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to email the NCV of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.

- xiv. The Period of Investigation for the purpose of the present investigation has been considered from 1st January 2019 to 31st December 2019 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019 and Period of Investigation.
- xv. Verification of the data provided by the domestic industry and exporters/producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 24th February, 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 7th April, 2021 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- xxii. *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$= 71.34.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm”. The product under consideration is also called Plain MDF Board. It is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc., due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.
- 5. The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6mm or more is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is, “Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm.”

6. The subject goods are classifiable under tariff heading 44111200 and 44111300. However, the subject goods are being imported under other tariff heading 44119219, 44119229, 44119319, and 44119419 as well. These customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C.1. Views of the Domestic Industry

7. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
 - i. There is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries and are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The product manufactured by domestic industry is like article to the product imported from subject countries.
 - ii. As regards moulded door skins, the domestic industry has no objection to its exclusion. It has been excluded from import data as well.
 - iii. As regards High Density Fibreboard (HDF), the product under consideration is itself defined as 'Plain Medium Density Fibreboard having thickness less than 6mm', implying HDF is not within scope of product under consideration.
 - iv. As regards additional HS codes, the initiation notification clearly mentions that customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. HS codes include those under which product is classified and imported.

C.2. Views of other interested parties

8. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The Applicants have acted in a mischievous manner by not mentioning the name of Door skins in the list of items excluded from the scope of the product under consideration.
 - ii. Door skins or Moulded Door Skins, is a value-added product and have been excluded from the scope of the product under consideration covering MDFs in the past by the Authority.
 - iii. The Authority, in the ongoing anti-subsidy investigation concerning imports of Fiberboards from Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand and Vietnam has clarified vide communication dated 20.12.2019 that Moulded Door Skin is excluded from the scope of the product under consideration.
 - iv. Comparison on PCN level is the appropriate methodology and the type wise information submitted by the exporter should be used for all comparison purposes.
 - v. Exporter manufactures and sells three broad types of products covered in Product under consideration i.e., E0, E1/Carb and E2 based on Formaldehyde Emission and cost and price of these grades vary significantly. Inter se grades with significant cost and price differences warrant separate determination of dumping and injury margin for such different grades.
 - vi. High Density Fibreboard (HDF) should be excluded from scope of product under consideration, as they are completely different products.
 - vii. HS codes will have implication on the accuracy of data with respect to volume and price of import of PUC, and no explanation has been provided as to whether additional HS codes are like product of main HS codes.

C.3. Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present investigation, is “Plain Medium Density Fibreboard having thickness less than 6mm”. The product under consideration has been defined as under:

“The product under consideration is Plain Medium Density Fibre Board, also known as Plain MDF Board. It is a composite wood product made out of wood waste fibres glued together with urea formaldehyde resin or melamine resin by applying heat and pressure. It is widely used for partitions, Modular furniture, cabinets etc, due to its smooth and uniform finish. MDF Board is produced in plain form and lamination is additional processing which is carried out after production of Plain MDF Board.

The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6MM or more is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is, “Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm.”

10. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry is treated as like article to the product under consideration imported from subject countries.
11. As regards the exclusion of moulded door skin and High Density Fibreboard (HDF) from the scope of product under consideration in the present investigation, it is noted that since domestic industry is not manufacturing moulded door skin, the same is excluded from the scope of product under consideration. As regards exclusion of High Density Fibreboard (HDF), it is noted that High Density Fibreboard (HDF) too is not within the scope of product under consideration.
12. As regards the arguments of the interested parties regarding the adoption of PCN in the present investigation, it is noted that the same issue was earlier dealt by the Authority in case of ADD investigation for Plain Medium Density Fibreboard having thickness less than 6 mm wherein it was decided not to adopt PCN methodology. There does not seem to be any justification to deviate from the stand taken earlier by the Authority.
13. The subject goods are classifiable under tariff heading 4411200 and 4411300. However, the subject goods are being imported under other tariff heading 44119219, 44119229, 44119319, and 44119419 as well. These custom classifications are indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

D.1. Views of the Domestic Industry

15. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:

- i. The Application for initiation of anti-dumping investigation has been jointly filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited and Century Plyboards (India) Limited. Under Composite Scheme of Arrangement, Greenply Industries Limited was demerged to Greenpanel Industries Limited. The Applicants have provided all relevant information with regard to the present investigation.
- ii. The Applicants have not imported the subject goods. The Applicants are not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the dumped article within the meaning of Rule 2(b).
- iii. As regards inclusion of other domestic producers who were part of previous investigations, it is stated that those domestic producers do not manufacture the product under consideration.
- iv. As regards supporters and alleged pick and choose methodology, it is not imperative for all petitions to have supporters and the lack of which does not imply that domestic industry has employed pick and choose methodology. WTO Panel in China-Autos(US) has stated that there is no established methodology to define domestic industry and the possibility of weaker performing producers participating is a simple reflection of trade remedial actions.
- v. In response to disclosure statement issued by the Authority, M/s Century Plyboards (India) Ltd sent an e-mail stating that they should not be treated as one of the Applicants any more.

D.2. Views of other interested parties

16. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the standing and scope of the domestic industry:
 - i. The domestic industry comes before the Authority with different permutations and combinations of the applicants, as per their convenience, to demonstrate non-existent or contrived injury.
 - ii. Producers who were part of domestic industry in previous investigation and ongoing CVD investigation has been wantonly kept out of scope to distort injury related data.
 - iii. Since the introduction of Trade Notice No. 13/2018 dated 27.09.2018, there has been no supporter to any of the investigations, thereby implying that the domestic producers has employed pick and choose methodology to demonstrate injury. This is against India's obligations in terms of Article 3.4 of the WTO agreement and Appellate Body report in Thailand – H-Beams which states that the Authority should examine “state of the industry” as a whole and not a part of domestic producers.
 - iv. Other domestic producers are performing better in the market and authority must call for and examine their data to ensure fair and holistic appreciation of data.

D.3. Examination by the Authority

17. The Application in the present case was jointly filed by Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited and Century Plyboards (India) Ltd. (hereinafter also referred to as applicant companies), accounting for ***% of the total Indian production. The Authority notes that there are three other manufacturers of the product under consideration namely M/s Balaji Action Buildwell, M/s Pioneer Panel Products, and M/s Ranga Particle Board Industries Limited who also manufacture the like article in India. The Applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods.
18. As regards the argument of inclusion of other domestic producers who were part of previous investigations and ongoing CVD investigation, the Authority notes that Rushil Decor Limited, the other company who is the part of domestic industry in other investigations and ongoing CVD investigation does not manufacture the product under consideration.

19. Vide emails dated 14th April 2021 and 17th April 2021, i.e., after the issuance of disclosure statement, Century Plyboards (India) Limited has filed a letter withdrawing its participation as constituent of domestic industry in this investigation. In this regard, Authority notes that that the investigation has reached its conclusive stage and everything has been finalised. After disclosure statement was issued to all the interested parties, Century Plyboards (India) Limited, which is one of the constituents of applicant domestic industry has made a request to withdraw its participation as constituent of domestic industry. Such withdrawal at the final stage of the investigation though will not affect the continuation of investigation in any manner because the remaining applicant Greenply Industries Limited/Greenpanel Industries Limited accounts for ***% of the total domestic production and thus meets the standing requirement under the Rules all by itself and accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods.
20. The applicant company has neither imported the product under consideration nor has claimed to be related to any producer/exporter of the product under consideration in subject countries or importers of subject goods in India.
21. Considering the information on record, the Authority holds that the applicant company i.e. Greenply Industries Limited/ Greenpanel Industries Limited accounts for a major proportion in the domestic production of the like article and the applicant is eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.
22. The Authority however notes that Century Plyboards (India) Ltd has fully participated in the investigations thus far, provided all relevant information to the Authority, has offered verification of its information and has provided cost statement duly certified by an independent accountant post verification of its information. Since full information relevant to the investigations with regard to the company is on record, it would be appropriate to use the information provided by them for the purpose of assessment of injury because the assessment of injury of domestic industry as a whole by using the information/ data of Century Plyboards (India) Limited will be more representative of the situation.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

23. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality —
 - i. S.Kijchai Enterprise Public Company Limited, Thailand, Wisewoods Company Limited, Thailand and Thamarappally Brothers Veneers and Panel Pvt. Ltd have failed to circulate the non-confidential version of their questionnaire responses.
 - ii. SPB Panel Industries Limited, Thailand has not filed the questionnaire response in the manner prescribed by the Authority.
 - iii. Association of Furniture Manufacturers of India (AFMI) should be considered as non-cooperative in the present investigation.
 - iv. The exporters and producers have resorted to excessive confidentiality and has redacted even basic information. The non-confidential version of the responses filed do not allow a meaningful understanding of the information claimed confidential. The responses are not in accordance with the requirements as per Trade Notice 10/2018, and is liable to be rejected.
 - v. The information kept confidential by the responding interested parties forms an essential part of the exporter questionnaire responses. Due to lack of such vital information in the non-confidential version, the Domestic Industry is unable to offer any meaningful submissions, thereby violating principles of natural justice.

- vi. The exporters have not furnished a sufficient non-confidential version of the appendices. Even indexed information has not been made available to the domestic industry. The exporters have not provided information that is freely available in the public domain.
- vii. As per Panel Plus Company's response, it does not export to India. However, according to its performance parameters, export sales have been made. The website given for Masonite Ireland is not functional. The exporters are trying to mislead the domestic industry and the Authority.
- viii. The non-confidential version of the petition filed by the domestic industry is as per Trade Notice 10/2018.
- ix. As regards confidentiality of the Market Research report, the same is third party information not available in public domain, and the petitioners are not authorized to disclose the same.

E.2. Submissions by other interested parties

24. Following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality-

- i. Petition is liable to be rejected as it is not in accordance with Trade Notice 10/2018. Reference is made to communication of the Authority in Sunset review Investigation concerning imports of Clear Float Glass from Pakistan, Saudi Arabia and UAE wherein the domestic industry was directed to provide non-confidential version in accordance with Annexure 1 of the Trade Notice, and Aluminium Zinc coated Flat products wherein data of exporter was rejected as certified costing certificates were not provided.
- ii. Claims of confidentiality by the domestic industry is wrong and misplaced. Responses of the exporters were submitted in accordance with Trade Notices 10/2018.
- iii. The petitioner has not provided evidence that information in the public domain was claimed confidential.
- iv. As regards confidentiality of information in Annual Reports, different standards cannot be applied with respect to similar nature of information submitted by other interested parties.
- v. Investigation should not be trivialized by raising issues of reasonable and permissible confidentiality.
- vi. Normal value computed in the petition is high by over 30% and is unsubstantiated. The Petitioners had relied on a Market Research Report by Maia Research. Therefore, there is no reason to claim confidentiality over the information/evidence when the source of the same has already been revealed. The credibility of Maia Research in the MDF sector is questionable as inaccurate selling prices have been quoted. Moreover, of all the reports available on their website, there is no report which cover the POI for the PUC. The selling prices quoted in the Petition are excessively high whereas the actual selling prices are around 220 USD/MT or less on a delivered basis.

E.3. Examination by the Authority

25. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party

without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

26. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
27. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
28. As regards submission of questionnaire response of (i) SPB Panel Industries Co. Ltd. Thailand(ii) M/s SKijchai's, (iii) Wisewoods Co. Ltd and (iv) Thamarappally Brothers Veneers and Panel Pvt. Ltd, it is seen that these companies have failed to circulate the non-confidential version of their responses to other interested parties. The Authority notes that non circulation of non-confidential version of their responses has impeded the opportunity for the other interested parties to make meaningful comments on the Questionnaire response filed by the aforementioned companies. The Authority holds to reject the responses filed by these companies in view of violation of sub rule 2 of Rule 7 of Anti-dumping Rules, 1995.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

29. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Exporters in subject countries resort to dumping despite subsidies granted by their respective governments and duty concessions granted under Free Trade Agreements, and are already subject to an ongoing anti-subsidy investigation.
 - ii. As regards misuse of trade remedial measures, there is no excessive protection to the domestic industry and anti-dumping duty is only to prevent unfair trade measure. The Authority imposes duty only when all legal requirements are met. The exporters are habitually exporting at unfair prices. The market share of imports is higher than market share of the domestic industry. Despite increase in capacities, domestic industry is prevented from meeting this demand. If exports were made at un-dumped prices, consumers would buy from domestic industry.
 - iii. As regards multiple investigations, the injury is due to low price imports and it is unclear as to the extent to which these low prices are due to dumping and to what extent due to subsidies, and hence should be investigated. A level playing field needs to be provided to

the extent of dumping and subsidies within overall injury margin and no relief is sought beyond injury margin.

- iv. There is no bar in investigating both AD and CVD cases simultaneously and is highly advisable to conduct at the same time. Other jurisdictions like US and EU initiate both AD and CVD investigations simultaneously, as observed by CESTAT and upheld by the Supreme Court in *M/s Suncity Sheets Pvt. Ltd. v. Union of India*.
- v. As regards overlap of POI, there is no difference between POI of dumping and injury in the present investigation, and the injury caused to domestic industry is in the current period of investigation.
- vi. As regards requirements justifying initiation, all requirements of Rule 5 have been met by the domestic industry.
- vii. As regards monopolizing the market, the purpose of anti-dumping duties is to re-establish situation of open and fair competition and imposition will not restrict imports in any way or affect availability of product to consumers.

F.2. Submissions by other interested parties

30. Following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- i. Issue of subsidies availed by exporters of subject goods is immaterial for anti-dumping investigation, as stated in investigation concerning Textured Tempered Glass from Malaysia.
- ii. Submission of the domestic industry that exporters enjoy duty concessions establish that the cause of injury is duty-free imports under Free Trade Agreements and cannot be attributed to alleged dumped imports.
- iii. Domestic industry has been misusing trade remedial measures for the past 11 years wherein, there have been cases against some or other form of the product.
- iv. CVD investigation on the product under consideration is being conducted parallelly. Multiple duties to address the same situation must be avoided.
- v. The POI of dumping and injury examination should overlap to ensure nexus between import and injury, without which causal link cannot be established, therefore, the petition should be rejected.
- vi. Petitioners failed to provide prima facie evidence to justify initiation.
- vii. Customers in India should be given a wide choice and anti-dumping measures should not be used to monopolize a market.

F.3. Examination by the Authority

31. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.

- i. As regards alleged misuse of trade remedial measures and excessive protection, the Authority notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met.
- ii. As regards the submission that the petition does not have prima facie evidence to justify initiation, the Authority notes that the Application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation. The Authority, only after satisfaction that application contained sufficient prima facie evidence to justify initiation of investigation decided to initiate the present investigation.
- iii. As regards conducting parallel anti-dumping and anti-subsidy investigations, the Authority notes that there is no bar in conducting such parallel investigations.

- iv. As regards overlap of period of investigation, the Authority notes that the period of investigation for dumping and injury is the same and there is no difference between the same.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Normal Value

32. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2. Submissions by the domestic industry

33. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. The normal values for Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam have been determined on the basis of the price reported in the Market Research Report by Maia Research. Export price has been calculated on the basis of DGCI&S transaction wise import data.
- ii. Response filed by M/s Wisewoods Limited, Thailand should be rejected as it was not filed in the prescribed manner.
- iii. Exporters have not fully cooperated with the Authority and adverse inference should be drawn from the fact of non-participation, and highest duty should be imposed on the exporters on the basis of facts available.
- iv. The disclosure statement issued in the ongoing anti subsidy investigation against imports of Fibreboard, stated that the major raw material prices in the subject countries are highly distorted due to various government schemes. Therefore, the raw material prices of the exporters in the subject countries are not reflective of market prices and is liable to be rejected for computation of normal value.
- v. As regards consideration of response filed by PT Mukti, it can be considered for determination of normal value and export price subject to accuracy and adequacy of information. The exporters should establish that raw material prices are undistorted. In case the raw material prices are found to be distorted, undistorted prices should be considered.

- vi. As regards separate dumping margin for related parties, it is against the practice of DGTR. In view of Para 12.28 of SOP Manual, only one dumping margin should be determined for all related parties.
- vii. As regards basis of data for normal value, information was provided to the best of abilities to establish prima facie dumping as domestic industry is not privy to actual selling price of subject goods in domestic market of subject countries and cost of production of subject goods in subject countries.
- viii. As regards normal value, petitioners have provided actual prices for determination of normal value.

G.3.Submissions by other interested parties

34. The following submissions have been made by other interested parties regarding the normal value, export price and dumping margin:

- i. Actual information provided by PT Mukti in their questionnaire response should be considered for determination of its normal value and export price.
- ii. Dumping margins for related companies Vanachai Panel Industries Company and Vanachai Group Public Company Limited, and Panel Plus Co. Ltd and Panel Plus MDF Company Limited, as well as PT Sumatera Fibreboard and SegamatPanel Boards SDN BHD should be computed separately.
- iii. Allegations of dumping against Thailand are unsubstantiated.
- iv. Establishment of dumping margin is incorrect as normal value was based on 2018 data, prior to POI. It is also questionable if normal value was established at ex-factory level.
- v. Period where normal value and export value was established is different, and comparing normal value and export price at different level would be inconsistent with Article 2.4 of Anti-Dumping Agreement.
- vi. The normal value computed in petition is high by over 30% and is unsubstantiated.
- vii. In view of WTO Panel and Appellate Body reports in EU-Biodiesel and Australia – A4 copy paper, investigating authority is required to consider costs data recorded and submitted by producers provided they are in accordance with GAAP and reasonably reflect the costs associated with production and sale of product under consideration. In A4 Copy Paper, the Panel ruled that even if the distortion occurs but it permits proper comparison between the domestic price and export price, the investigating authority is not allowed to construct the normal value, let alone replace the cost of the producers.
- viii. The exporters cooperated with the Authority and duly filed complete questionnaire responses. Therefore, actual information should be considered for determination of normal value and export price.

G.3 Examination by the Authority

35. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

- a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
36. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have participated in the present investigation.
 - i. M/s. Vanachai Panel Industries Company Limited, Thailand
 - ii. M/s. Vanachai Group Public Company Limited, Thailand
 - iii. Panel Plus MDF Company Limited, Thailand
 - iv. Panel Plus Company Limited, Thailand
 - v. M/s. Segamat Panel Boards SDN BHD, Malaysia
 - vi. M/s. Magna Foremost SDN BHD, Malaysia
 - vii. M/s. Grand Paragon SDN BHD, Malaysia
 - viii. M/s. Masonite Components Unlimited Company, Ireland
 - ix. M/s. PT Sumatera Prime Fibreboard, Indonesia
 - x. M/s. PT Mukti Panel Industri, Indonesia
 - xi. M/s. S. Kijchai Enterprise Public Company Limited, Thailand
 - xii. M/s. Wisewoods Company Limited, Thailand
 - xiii. M/s. SPB Panel Industries Company Limited, Thailand
37. The responses of the cooperating producers/exporters who have filed the exporter questionnaire response in the form and manner prescribed by the Authority have been examined for determining Normal Value, Export Price and Dumping Margin.
38. It is noted that M/s. Magna Foremost SDN BHD, Malaysia and its related exporters, namely, M/s. Grand Paragon SDN BHD, Malaysia and M/s. Masonite Components Unlimited Company, Ireland do not export the product under consideration. The companies export Moulded Door Skin which is excluded from the scope of the product under consideration. Since normal value is determined and anti-dumping duty is recommended only on producers/exporters of the product under consideration, the Authority finds that there is no need to calculate the dumping margin for these companies.
39. As regards the arguments of the interested parties regarding recommendation of individual dumping margin for related parties as well, it is noted that the dumping margin is calculated as per laws and practice in India.
40. As regards argument of raw material distortions, it is noted that the domestic industry has not established that the raw material prices are distorted in the subject countries. The argument is rejected, being unsubstantiated.

G.4.0. Determination of Normal Value

G.4.1. Normal Value determination for all producers/exporters from Thailand

Panel Plus MDF Company Limited, Thailand

41. The Authority notes that Panel Plus MDF Co. Ltd. is a producer and exporter of the subject goods based in Thailand. Its related trader, namely, Panel Plus Co. Ltd. has also filed the

questionnaire response. Panel Plus MDF Co. Ltd. has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of Panel Plus MDF Co. shows ***% of sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking profitable domestic sales in the subject country. Panel Plus MDF Co. has claimed adjustments on account of inland freight and credit cost. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

Vanachai Panel Industries Company Limited, Thailand

42. The Authority notes that Vanachai Panel Industries Co.,Ltd. is a producer and exporter of the subject goods based in Thailand. Its related producer namely, Vanachai Group Public Company Ltd, has also filed the questionnaire response. However, since they have sold only Moulded door skin, the margin for them is not being worked out. Vanachai Panel Industries Co.,Ltd.'s domestic sales are found to be below ***% of the sales to India. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking into consideration cost of production of the said article along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules. Authority after due verification have determined the normal value as shown in dumping margin table below.

Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Thailand

43. Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2. Normal Value determination for producers/exporters from Malaysia

Segamat Panel Boards, SDN. BHD., Malaysia

44. The Authority notes that Segamat Panel Boards, SDN. BHD. is a producer and exporter of the subject goods based in Malaysia. Segamat Panel Boards, SDN. BHD. has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the Exporter Questionnaire Response (EQR), during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of Segamat Panel Boards, SDN. BHD. shows *** % of sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking only profitable domestic sales in the subject country. Segamat Panel Boards, SDN BHD has claimed adjustments on account of inland freight and credit cost. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Malaysia

45. Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Malaysia has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.3. Normal Value determination for producers/exporters from Indonesia

PT Mukti Panel Industri, Indonesia

46. The Authority notes that PT Mukti Panel Industri is a producer and exporter of the subject goods based in Indonesia. PT Mukti Panel Industri has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of PT Mukti Panel Industri shows less than *** % of sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined based on cost

of production, considering reasonable profit and general administrative expenses. Dumping margin thus calculated is given in table below.

PT Sumatera Prima Fibreboard, Indonesia

47. The Authority notes that PT Sumatera Prima Fibreboard is a producer and exporter of the subject goods based in Indonesia. PT Sumatera Prima Fibreboard has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation, the ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of PT Sumatera Prima Fibreboard shows ***% of sales as profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking all domestic sales in the subject country. PT Sumatera Prima Fibreboard has claimed adjustments on account of inland transportation and credit cost. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

Normal Value for all non-cooperative producers/exporters from Indonesia

48. Normal value for all non-cooperative producers/exporters from Indonesia has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.4.4. Normal Value determination for producers/exporters from Vietnam

49. The Authority notes that none of the producers/exporters from Vietnam have filed Exporter Questionnaire Response. In view of non-cooperation from all the producers/exporters in Vietnam, the Authority has determined normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

G.5. Export Price

G.5.1. Determination of export price in respect of producers/exporters from Thailand

Panel Plus MDF Company Limited (Exporter/Producer)

50. Panel Plus MDF Co. Ltd. has filed questionnaire response along with its related trader, namely Panel Plus Co. Ltd. The Authority, however, notes that Panel Plus MDF Co. has exported *** CBM of the subject goods to India at the invoice value of US\$ *** during the period of investigation. Adjustments have been made on account of Ocean freight, inland transportation, port and other related expenses, bank charges, credit cost, wherever applicable, as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Panel Plus MDF Co. Ltd. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Vanachai Panel Industries Company Limited (Producer/Exporter)

51. Vanachai Panel Industries Co., Ltd. has filed questionnaire response. It is noted that Vanachai Panel Industries Co., Ltd. has exported *** CBM of the subject goods to India at the net invoice value of US\$ *** during the period of investigation. Adjustments have been made on account of inland transportation, commission, port and other related expenses, bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Vanachai Panel Industries Co., Ltd. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Other producers and exporters from Thailand

52. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from the Thailand, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of other producers/exporters from Thailand.

G.5.2. Determination of export price in respect of producers/exporters from Malaysia**Segamat Panel Boards, SDN. BHD., Malaysia**

53. Segamat Panel Boards Sdn Bhd. has filed questionnaire response. It is noted that Segamat Panel Boards Sdn Bhd. has exported *** CBM of the subject goods to India at the Value of US\$*** during the period of investigation. Adjustments have been made on account of Ocean freight, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Segamat Panel Boards Sdn Bhd. has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Other producers and exporters from Malaysia

54. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from Malaysia, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of other producers/exporters from Malaysia.

G.5.3. Determination of export price in respect of producers/exporters from Indonesia**PT Mukti Panel Industri, Indonesia**

55. PT Mukti Panel Industri has filed questionnaire response. It is noted that PT Mukti Panel Industri has exported*** CBM of subject goods to India invoice value of US\$ ***directly to India during the period of investigation. Adjustments have been made on account of Ocean freight, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges, wherever applicable, as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for PT Mukti Panel Industri has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

PT Sumatera Prima Fibreboard, Indonesia

56. PT Sumatera Prima Fibreboard has filed questionnaire response. It is noted that PT Sumatera Prima Fibreboard has exported *** CBM of the subject goods to India at the value of US\$*** during the period of investigation. Adjustments have been made on account of Ocean freight, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and bank charges as claimed by the exporter in its response to the questionnaire in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for PT Sumatera Prima Fibreboard has been determined, which is indicated in the Dumping Margin Table below.

Other producers and exporters from Indonesia

57. Since no response has been received from any other producer/exporter of the subject goods from Indonesia, the Authority has determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect of other producers/exporters from Indonesia.

G.5.4. Determination of export price in respect of producers/exporters from Vietnam

58. The Authority notes that none of the producers/exporters from Vietnam have filed Exporter Questionnaire Response. In view of non-cooperation, the Authority has determined export price on the basis of facts available in terms of Rule 6(8), in respect of exporters from Vietnam. The same is indicated in the dumping margin table given below.

G.6. Dumping Margin

59. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below.

Country	Producer	Normal Value (US\$/CBM)	Export Price (US\$/CBM)	Dumping Margin (US\$/CBM)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
Thailand	Panel Plus MDF Company Limited	***	***	***	***	Negative
	Vanachai Panel Industries Limited	***	***	***	***	40-50
	All Others	***	***	***	***	60-70
Malaysia	Segamat Panel Board SDN. BHD.	***	***	***	***	30-40
	All Others	***	***	***	***	50-60
Indonesia	PT Mukti Panel Industri	***	***	***	***	0-10
	PT Sumatera Prima Fibrebord	***	***	***	***	0-10
	All Others	***	***	***	***	30-40
Vietnam	All	***	***	***	***	40-50

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

60. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
61. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty was filed by M/s Greenply Industries Limited / Greenpanel Industries Limited, and Century Plyboards (India) Ltd.
62. Vide emails dated 14th April 2021 and 17th April 2021, i.e., after the issuance of disclosure statement, Century Plyboards (India) Limited has filed a letter withdrawing its participation as constituent of domestic industry in this investigation. In this regard, Authority notes that such withdrawal at the final stage of the investigation though will not affect the continuation of investigation in any manner because the remaining applicant still accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods. However, the Authority, while allowing withdrawal of Century Plyboards (India) Limited as one of the applicants in this investigation, notes that Century Plyboards (India) Ltd has fully participated in the investigations thus far, provided all relevant information to the Authority, has offered

verification of its information and has provided cost statement duly certified by an independent accountant post verification of its information. The Authority has therefore used data / information provided by Century Plyboards (India) Limited for the purpose of assessment of injury because the assessment of injury of domestic industry as a whole by using the information/ data of Century Plyboards (India) Limited will be more representative of the situation.

H.1. Submissions by the domestic industry

63. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- i. The market share in demand of the subject countries is 50% while the domestic industry's share is only 32%, despite the increase in capacity for the subject goods. Market share of domestic producers as a whole has declined.
 - ii. The volume of imports from the subject countries in absolute terms and in relation to total imports in the country has increased significantly during the injury period and in the POI.
 - iii. The imports are significantly undercutting and depressing the prices of the domestic industry. The dumping margin and injury margin for all of the subject countries is positive and substantial.
 - iv. The domestic industry has increased capacity, despite which the imports have remained continuously at high levels. Capacity utilization has declined. Inventories have increased substantially during the injury period and the period of investigation.
 - v. Profits declined significantly throughout the injury period and in the period of investigation. Cash Profits, and ROCE follow the same trend as profitability. Despite reducing prices, the domestic industry is faced with same level of imports in the country.
 - vi. The performance parameters of the exporters who have submitted questionnaire responses show that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports and that there is a threat of material injury in the event of non-imposition of duty. The exporters show high export orientation, increased capacities and exports to India, and hold significant inventories. Selling price of exports to India has declined even though costs have increased.
 - vii. No other known factors are causing injury to the domestic industry. There is causal link between material injury and the imports from subject countries.
 - viii. The increase in depreciation and finance cost, production, domestic sales and productivity per day is due to addition of new capacities by the domestic industry. However, even if level of depreciation before increase in capacity is considered for period of investigation, it would still show decline in cash profits, thus establishing that the decline is due to dumped imports.
 - ix. As regards statements in Annual Report of Rushil Décor, it is stated that Rushil Décor is not a manufacturer of the product under consideration in India. As regards public statements in Annual Reports, Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.
 - x. As regards separate injury margin, it is not the practice of DGTR to calculate separate injury margins for related parties, and the Authority is requested to calculate one injury margin for all related parties.
 - xi. As regards capacity expansions, the expansions were made to bridge the demand-supply gap, despite which there has been a significant import of subject goods.

- xii. The landed price of imports from subject countries is below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period. Therefore, even if the landed price of imports has increased, it was still below the cost and therefore the profitability of the domestic industry has declined.
- xiii. As regards detrimental effect on market share, the market share of the domestic producers has declined despite increasing its capacities whereas market share of the subject countries has increased.
- xiv. The profitability of the domestic industry has declined significantly. Even though the costs have declined, the domestic industry is forced to reduce its prices more than decline in cost. Imports are depressing the prices of the domestic industry. Despite price reductions by the domestic industry, the imports have continued at similar levels.
- xv. As regards employment parameters, injury has not been claimed on that account. Employment increased due to increase in capacities.
- xvi. As regards post-POI period, there is no legal requirement to consider post-POI period in a fresh investigation as has been observed in a recent finding concerning imports of Phenol from Thailand and USA.
- xvii. As regards state of competition, distinction should be made between fair and unfair competition, and there is a separate legislation to ensure that competition between domestic producers remains fair. If internal competition was the only driving force in the market, the domestic industry's market share would not have faced such a situation.
- xviii. Export constitute only 11% of the total sales by domestic industry. It therefore cannot be said that the petitioners are focusing on the export markets. The domestic industry has enough capacities to meet the entire demand of India as well as export the product under consideration at the current levels.
- xix. The petitioners are forced to export the subject goods due to the presence of dumped goods in the country. Dumping of subject goods in the country cannot be justified on the ground that petitioners are exporting the subject goods.
- xx. The claim of the respondents that injury maybe due to imports of thick MDF Board is factually incorrect as the domestic industry has proved that it has suffered material injury due to the imports of the product under consideration.
- xxi. The producers in the subject countries hold significant capacities, maintain a high export orientation and maintain huge inventories, thereby posing a significant threat of material injury.
- xxii. The opposing interested parties have not provided any evidences for capacity, contrary to the claim of the domestic industry. Their arguments are unsubstantiated.

H.2. Submissions by other interested parties

64. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:
- i. Petitioners have not demonstrated any dumping or consequent injury to the domestic industry or provided any positive evidence to show that material injury or threat of material injury is due to alleged dumped imports of subject goods.
 - ii. There has been massive improvement with respect to most of the economic parameters of the domestic industry. Decline in profits of the domestic industry is directly attributable to increase in depreciation and finance cost, and massive capacity additions. There is no injury as the domestic industry has increased capacity, production, domestic sales and productivity per day.

- iii. Injury, if any, is on account of other factors including increase in capacity, increase in interest costs, abnormal increase in employment, slowdown of economy, domestic oversupply, etc. Annual Report of Rushil Décor Limited reveals the reason for low performance of the domestic industry. Further, Annual Report of Century Ply states that performance was affected due to subdued real estate sector, muted consumer spending and domestic oversupply.
- iv. Injury margins of related companies should be computed separately. Allegations in the petition against Thailand regarding injury is unsubstantiated.
- v. Injury data presented is misleading as the Petitioner was involved in capacity expansion during the injury period including the period of investigation, which would not have been possible if the domestic industry was facing material injury. Moreover, the expansion activities started to bear results in the later part of period of investigation as well as post-POI period as their sales only improved in the domestic market which establishes that capacity utilization had only increased. The capacity constraints of the domestic industry were the reason behind the imports and therefore, the allegation of dumping is without merit. .
- vi. No link can be established between the movement of landed price of imports of PUC from the subject countries and profitability of the domestic industry. They are found to be inversely proportional.
- vii. The imports of product under consideration from the subject countries did not have any detrimental effect on the market share of the domestic industry.
- viii. While price undercutting reduced over the years from subject countries or remained in a comparable range, as in the case of Thailand, the same did not have an effect on the prices of the domestic industry. The domestic industry was able to maintain a higher price even when there was significant fall in cost. There was minimal decline in NSR during the period when landed price from subject countries reduced.
- ix. The parameters like employment, growth etc. displayed better performance of the domestic industry during the POI.
- x. Post-POI performance of the Petitioner should be considered as a parameter to measure causal link during the period of investigation, wherein the petitioner has witnessed exponential growth without any anti-dumping duty.
- xi. State of competition within Indian producers affected performance of petitioners, and not imports from Indonesia. Any possible injury could be self-inflicted. Petitioners have been focusing on exports as export sales volume has increased formidably. Import of product under consideration was to complement huge export scale of petitioners.
- xii. Core export market is Middle East followed by Asian markets. Thai exports declined from 33468 MT in 2017-18 to 22328 MT. The decline in Thai exports does not support the alleged injury narrative of applicants.
- xiii. Since the industry does not have a dedicated line for production of thin board and since domestic industry has alleged continuation of injury in SSR investigation concerning thick MDF board, it is possible that alleged injury to the DI was caused by imports of thick MDF.
- xiv. Petitioner has increased its prices continuously and at a significant rate. Imports from Indonesia regardless of volume is to cater to the market demand in India, and supplement the existing demand-supply gap. Data of the petitioner shows that market share was positive and has slightly increased from 2017-18 to POI.

- xv. Tables of various exporters mentioned by the domestic industry show more or less similar trend as performance parameters of the domestic industry.
- xvi. There is no provision that allows examination of both injury and threat of material injury. Claim of injury and threat of material injury cannot exist together.
- xvii. Volume of imports has declined as compared to 2017-18 while there has been negligible increase in period of investigation. As far as Indonesia is concerned, there has been decline in imports in the period of investigation.

H.3. Examination by the Authority

- 65. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 66. Article 3.3 of WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than 2% expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than 3%, the imports collectively account for more than 7% of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 67. The Authority notes that:
 - a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the de-minimis limits prescribed under the Rules.
 - b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
- 68. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam.
- 69. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the Domestic Industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

70. The submissions made by the Domestic Industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.
71. As regards argument of considering information for post period of investigation, it is noted that the present investigation being a fresh investigation, there is no requirement of considering post period of investigation information.

H.3.1. Assessment of Demand

72. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>146</i>
Sales of Other Indian Producers	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>97</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
Imports from- Subject Country	CBM	72,183	124,699	121,327	121,259
Indonesia	CBM	30,254	34,788	36,177	35,619
Malaysia	CBM	21,462	14,531	30,194	29,798
Thailand	CBM	17,449	56,256	35,269	42,109
Vietnam	CBM	3,019	19,124	19,687	13,733
Imports from other countries	CBM	8,153	12,344	9,457	9,064
Total Demand in India	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>142</i>	<i>143</i>	<i>148</i>
Market Share in Demand					
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>88</i>	<i>91</i>	<i>98</i>
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>68</i>	<i>80</i>	<i>78</i>
Imports from- Subject Countries	%	***	***	***	***
Indonesia	%	***	***	***	***
Malaysia	%	***	***	***	***
Thailand	%	***	***	***	***
Vietnam	%	***	***	***	***
Other Countries	%	***	***	***	***
Total Demand	%	100	100	100	100

73. The Authority notes that the demand in India has increased throughout the injury period and in the POI.

H.3.2. Volume Effect of Dumped Imports

74. The effect of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

Import Volume	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from- Subject Countries	CBM	72,183	124,699	121,327	121,259
Indonesia	CBM	30,254	34,788	36,177	35,619
Malaysia	CBM	21,462	14,531	30,194	29,798
Thailand	CBM	17,449	56,256	35,269	42,109
Vietnam	CBM	3,019	19,124	19,687	13,733
Imports from other countries	CBM	8,153	12,344	9,457	9,064
Total Import Volume	CBM	80,336	137,043	130,785	130,322
Subject Country Imports in relation to					
Imports	%	89.85	90.99	92.77	93.05
Total Indian Production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>156</i>	<i>130</i>	<i>121</i>
Total Indian Demand	%	***	***	***	***

75. The Authority notes that the volume of imports from the subject countries increased in 2017-18 and declined in 2018-19 and in the period of investigation. However, as compared to base year 2016-17, the imports from subject countries have increased in the period of investigation both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

H.3.3. Price Effect of Dumped Imports

76. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

77. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	Period of investigation
Net sales realization	Rs/CBM	***	***	***	***
Subject Countries as a whole					
Landed price	Rs/CBM	14,232	13,223	13,786	13,297
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	60-70	70-80	40-50	40-50

Indonesia					
Landed price	Rs/CBM	15,322	14,673	14,807	14,444
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	50-60	50-60	30-40	30-40
Malaysia					
Landed price	Rs/CBM	14,068	14,936	15,058	14,109
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	60-70	50-60	30-40	30-40
Thailand					
Landed price	Rs/CBM	12,914	12,223	12,230	11,780
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	70-80	90-100	60-70	60-70
Vietnam					
Landed price	Rs/CBM	12,094	12,223	12,747	13,214
Price undercutting	Rs/CBM	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	90-100	90-100	50-60	40-50

78. It is noted that import prices of each of the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.

ii. Price Suppression and Depression

79. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	104	111	98
Net Sales Realization	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	101	88	84
Landed Price from subject countries	Rs/CBM	14,232	13,223	13,786	13,297
<i>Trend</i>		100	93	97	93

80. It is noted that the landed price of imports from subject countries is below the cost of sales during the period of investigation. Both cost and selling of the domestic industry declined over the injury period. However, decline in selling price of the domestic industry is more than the decline in cost. Imports are both depressing and suppressing the prices of the domestic industry.

H.3.4. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry.

81. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

82. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Installed Capacity - Plant	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>155</i>	<i>360</i>	<i>410</i>
Production Quantity - Plant	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>123</i>	<i>178</i>	<i>236</i>
Capacity Utilization - Plant	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>80</i>	<i>49</i>	<i>58</i>
Production Quantity – product under consideration	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>118</i>	<i>137</i>	<i>152</i>
Domestic Sales – product under consideration	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>125</i>	<i>130</i>	<i>146</i>

83. It is noted that:

- The capacity has increased over the injury period and in the period of investigation. It is seen that the increase in capacity is due to the establishment of new capacities.
- The production quantity of the domestic industry increased throughout the injury period and in the period of investigation. The domestic sales have shown the same trend as production. Capacity utilization has declined over the injury period except in the POI where it has shown some improvement. The decline in capacity utilization however is on account of consistent increase in capacity.

ii. Market Share of domestic industry in Demand

84. Market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	88	91	98
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	68	80	78
Imports from- Subject Countries	%	***	***	***	***
Other Countries	%	***	***	***	***
Total Demand	%	100	100	100	100

85. The market share of the domestic industry has remained in similar region despite significant capacity addition. The market share of the subject countries has increased as compared to the base year. Further, imports command majority share, despite significant capacities with the domestic producers.

iii. Inventories

86. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Inventory – Average	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	243	334	495

87. The Authority notes that the inventories with the domestic industry has increased substantially over the injury period and further in the POI.

iv. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

88. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	104	111	98
Selling price	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	101	88	84
Profit before tax	Rs/CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	93	26	44
Total Profit before Tax	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	116	33	64
Total Profit before interest	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	119	44	72
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	130	57	82
Return on capital employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	59	16	35

89. It is seen that:

- Profitability has shown significant decline over the injury period. Gross profit before tax and cash profits increased in 2017-18, but declined thereafter substantially. Cash profit in the POI was lower than that in the base year. Profit before tax particularly was significantly lower in POI as compared to the base year.
- Return on capital employed (ROCE) declined sharply till 2018-19. Even though ROCE improved in POI, the same was at a sub-optimal level.
- Profitability, gross profit before tax, cash profits and return on capital employed have all seen a decline in the period of investigation as compared to base year.
- The domestic industry has added significant capacity and production. The profits of the domestic industry have however declined as compared to earlier levels.

v. Employment, wages and productivity

90. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity is as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	137	246	269
Productivity per day	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	141	137	152
Productivity per Employee	CBM	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	87	56	56
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>		100	167	246	254

91. It is noted that employment, wages and productivity per day has substantially increased throughout the injury period. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

92. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	%	-	17.88	15.90	11.04
Domestic Sales Volume	%	-	24.89	3.82	12.36
Capacity Utilisation	%	-	(20.42)	(37.87)	16.63
Profit/Loss domestic	%	-	(7.27)	(72.44)	72.55
Average stock	%	-	143.01	37.53	48.18

93. It is noted that the growth in terms of production, domestic sales, and capacity utilization in the POI is positive when compared to the preceding year.

vii. Factors affecting domestic prices.

94. The Authority notes that the domestic prices have been affected due to the presence of dumped imports in the country.

viii. Ability to raise fresh investment.

95. The domestic industry has claimed that it has been operating at low-capacity utilization despite significant demand in the country and it has weakened the ability of the Domestic Industry to raise capital investment.

ix. Magnitude of Dumping

96. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

I. OVERALL CONCLUSION ON INJURY

97. Considering various parameters relating to material injury, the Authority notes that subject imports have increased over the injury period in relation to gross imports. Even though the subject imports have shown marginal decline in the POI as compared to preceding year, the level of imports in the POI is still significant high and higher than the levels registered in the base year. Landed price of imports from subject countries being below the cost of sales throughout the injury period, the imports from subject countries are massively undercutting the domestic prices during the injury investigation period. Imports are both depressing and suppressing the prices of the domestic industry as well. Overall performance of the domestic industry has deteriorated in respect of various economic parameters such as profits, cash profits and ROI. Profitability has shown significant decline over the injury period. Return on capital employed (ROCE) declined sharply till 2018-19 and even though it improved in POI, the same was at a sub-optimal level. Profitability, gross profit before tax and return on capital employed have all witnessed significant decline in the period of investigation as compared to base year. Even though the performance of the domestic industry has improved in respect of production and domestic sales, the same is a result of significant fresh investments made by the domestic industry. Further, the decline in price parameters (profits, cash profits and ROI) far outweigh the improvement in production and domestic sales.

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

98. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and Prices of Imports from Third Countries

99. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from other countries are at *de minimis* volumes.

b. Contraction in demand and/or change in pattern of consumption

100. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c. Export Performance of the domestic industry

101. It is noted that injury analysis is based on domestic performance. Hence, the injury is not on account of export performance of the domestic industry.

d. Development of Technology

102. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

e. Performance of other products of the company

103. It is noted that domestic industry has segregated its performance with respect of different products. The performance of other products those are being produced and sold by the domestic industry are not a cause of injury.

f. Trade Restrictive Practices and Competition between Foreign and Domestic producers

104. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

g. Productivity

105. It is noted that productivity of the domestic industry has been improving throughout the injury period and the improvement is due to the addition of new capacities, and thus, injury to the domestic industry is not on this account.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

106. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury due to other known factors listed above. Further, the following factors show that the dumped imports from subject countries have caused material injury to the domestic industry.

- a. The landed price of imports from subject countries being below the cost of sales throughout the injury period, the imports from subject countries are massively undercutting the domestic prices throughout the injury investigation period.
- b. Such low-priced imports have had suppressing and depressing effect on the selling price of the domestic industry.
- c. The price suppression and depression suffered by the domestic industry has led to the decline in performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on investments despite increase in production and sales.

107. The Authority, thus, concludes that dumped imports from subject countries have caused injury to the domestic industry.

L. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

108. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

109. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Country	Producer	Non-Injurious Price (INR/CBM)	Landed Price (INR/CBM)	Injury Margin (INR/CBM)	Injury Margin (%)	Injury Margin (USD/CBM)	Injury Margin (Range in %)
Thailand	Panel Plus MDF Company Limited	***	***	***	***	***	20-30
	Vanachai Panel Industries Limited	***	***	***	***	***	20-30
	All Others	***	***	***	***	***	30-40
Malaysia	Segamat Panel Board SDN. BHD.	***	***	***	***	***	20-30
	All Others	***	***	***	***	***	40-50
Indonesia	PT Mukti Panel Industri	***	***	***	***	***	15-25
	PT Sumatera Prima Fibrebord	***	***	***	***	***	10-20
	All Others	***	***	***	***	***	25-35
Vietnam	All	***	***	***	***	***	35-45

M. POST DISCLOSURE COMMENTS

110. The Authority issued a disclosure statement on 7th April, 2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under

M.1. Submissions by Domestic Industry

111. Following submissions have been made by the domestic industry:

- The questionnaire response filed by SPB Panel Industries Company Limited, Thailand should be rejected on the grounds that it is in violation of sub rule 2 of Rule 7 of Anti-dumping Rules, 1995.
- The dumping margin of Panel Plus could not have been negative because 50% of exports from Thailand are made by this company and 75% of imports are priced below Rs 15,000Rs/CBM(CIF). It is requested to the Authority to kindly undertake detailed verification of export price not only by comparing the same with other responding exporters, but also by comparing the same with DG Systems data.

- c. The Authority is requested to disclose the fact considered for normal value in case of Vietnam. Further cost of production of domestic industry for determination of NIP cannot be taken for construction of normal value for Vietnam since Annexure-1 prescribes for actual cost of production for calculating normal value and not any normated cost of production.
- d. When the raw material prices of the subject exporter are distorted due to government interference it does not reflect fair market value. So, in such case the normal value should instead be constructed on the basis of costs of production and sale reflecting undistorted prices or benchmarks. The raw material prices of the exporters in the subject countries are not reflective of the market prices and should be rejected for computation of normal value.
- e. The contentions regarding threat of material injury to the domestic industry in the event of non-imposition of antidumping duty have not been considered in the disclosure statement. The domestic industry requests that the existence of threat of material injury be examined for the purpose of final findings in the present investigation.
- f. No concern has been raised by any of the consumers on imposition of anti-dumping duty. This shows that they do not consider anti-dumping duty to have significant adverse impact on them. The effect of anti-dumping measures on public interest must be studied from the perspective of interests of different set of parties. Imposition of anti-dumping duty will be in the interest of producers, consumers, users and public at large and will also help the country and domestic industry to reduce their dependency on imports.

M.2. Submissions by other interested parties

112. Following submissions have been made by other interested parties:

- a. The Authority should examine whether other domestic producers, who came before the Authority in other investigations should be included as part of 'domestic industry'. Constituents of domestic industry will have direct and material effect on the evaluation of injury and injury margin.
- b. The respondent reiterates that the numerous trade remedial protection provided to the Domestic Industry coupled with the repeated claim of injury by the Domestic Industry through different applications indicates towards one inescapable conclusion that injury, if any, to the Domestic Industry is on account of factors other than the alleged dumped imports.
- c. Other domestic producers are performing much better in the market and the prices in the Indian market are benchmarked by the competitive prices offered by such producers. In such a situation, there is no reason as to why the data relating to the other producers should not be called for before making final determination even at the post-disclosure stage of the investigation.
- d. Based on the information provided by the Authority vide email dated 8th April, 2021, it seems that the Authority has considered different cost for the purpose of carrying out the 80:20 test as well as Normal Value against our claimed cost. The Authority should consider the actual cost claimed by the respondent for the purpose of carrying out the 80:20 test and normal value as it is a single product company and actual cost incurred by the respondent has been captured in the books of account.
- e. The domestic Industry has not suffered any injury on account of the alleged dumped imports.

- f. In commensurate with the increase in capacity, the DI was in a position to produce and sell more. The capacity utilization of DI increased even after significant addition in capacity.
- g. Profitability and ROCE increased during the POI in comparison to the immediate previous year. This shows the DI was in a dominant and non- injurious position during the POI both in terms of volume and price parameters.
- h. Though the Disclosure statement shows price undercutting, what is to be noted here is that the price undercutting substantially reduced over the years as the DI was able to maintain its price at a higher level.
- i. Post POI analysis is not a requirement in a fresh investigation, but there is no bar under the law to call for such data. Published results of Centuryply is for the MDF division, which must cover the PUC. The available data for Greenply is for company as a whole. Such data makes a strong case for calling in post POI data specifically for PUC from the petitioners to gauge the actual growth in the Post POI period and it cannot be a situation that MDF division did well but the PUC did not do well.
- j. An overall analysis of the economic parameters set out in para (iv) of Annexure II clearly reveal that the situation of the Domestic Industry improved substantially.

M.3. Examination by the Authority

113. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above *ipso facto* deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:
- a. With regard to the claim that dumping margin for Panel Plus cannot be negative because its export price is lower for majority of export volumes to India, the Authority notes that domestic industry cannot assume positive dumping margin by simply looking at export price. Dumping margin is difference between normal value and export price and therefore lower export price may only increase the likelihood of positive dumping margin, but it does not necessarily rule out the possibility of negative dumping margin in such a situation. The Authority has determined dumping margin for Panel Plus in accordance with the provisions of Act and the Rules.
 - b. As regards argument of raw material distortions, it is noted that the domestic industry has not established that the raw material prices are distorted in the subject countries and has not substantiated their argument with verifiable information.
 - c. As regards the claim that the Authority has not determined existence of threat of material injury, it is noted that Authority has determined that there is material injury to the domestic industry. Therefore, the claim of the domestic industry that there is also threat of material injury is not necessary to be examined.
 - d. As regards the claim that consumers have not objected to the imposition of anti-dumping duty nor established adverse effects, Authority notes that adequate opportunity has been provided to all interested parties to provide relevant information. The present findings are based on information provided by the interested parties and considered relevant by the Authority. .
 - e. As regards the claims that other domestic producers should be included as part of the domestic industry, the Authority notes that adequate opportunities were provided to all interested parties, including other domestic producers to provide relevant information to the Authority. The Authority cannot force participation in the investigations by any interested party. The Authority has included all such

companies within the scope of the domestic industry who have provided relevant information. However, the rights of the domestic industry cannot be undermined merely because some of the domestic producers have preferred not to join the application as a domestic industry. Further, none of the interested parties have provided any such information/evidence which shows that injury determination is distorted due to non-inclusion of other domestic producers. Having regard to facts on record, Authority examined whether the domestic producers whose information is on record can be collectively considered as domestic industry under the Anti-dumping Rules.

- f. Opposing interested parties have claimed that numerous trade remedial measures coupled with the repeated claim of injury by the Domestic Industry through different applications indicates that injury, if any, to the Domestic Industry is on account of factors other than the alleged dumped imports. In this regard, it is noted that the assessment of injury and causal link has been made after examining all known factors including the factors other than dumped imports.
- g. As regards the claim that other domestic producers are performing better, the Authority notes that interested parties have not provided relevant information on all injury parameters to substantiate their claim that other domestic producers are not suffering injury. Moreover, Authority is required to assess whether or not domestic producers constituting domestic industry have suffered injury.
- h. As regards the claim that domestic industry is not suffering injury due to improvement in volume and price parameters, the Authority notes that it has conducted comprehensive assessment of all relevant injury parameters in the final findings above before determining that the overall assessment shows that domestic industry is suffering material injury.
- i. As regards the claim that the Authority should analyse post POI data to confirm its assessment of material injury, the Authority notes that assessment of injury to the domestic industry is based on injury investigation period including the POI. There is no requirement to assess post POI data for determination of material injury to the domestic industry in original investigation. Nor it would be appropriate to selectively consider post POI in a particular investigation.
- j. As regards claims regarding determination of normal value of Vietnam, the Authority notes that it has determined normal value in accordance with the Rules and having regard to non-cooperation by the concerned parties.
- k. As regards consideration of the cost of production for assessment of normal value, it is clarified that the Authority has considered the cost of production claimed by the exporters, and has determined the same, after taking into account various information provided by the exporters and making appropriate adjustments.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND PUBLIC INTEREST

114. Authority considered whether imposition of proposed ADD shall have adverse public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers and consumers of the product.
115. The authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. Authority also prescribed a questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including possible effect of ADD on their operations. Barring Feroke Boards Limited, none of the users have filed user questionnaire response. Further Feroke Boards Limited is a user of moulded door skin which is not subject to investigation and therefore has no relevance in

the present investigation. Association of Furniture Manufacturers of India (AFMI) have filed submissions but none of its members have filed user questionnaire response. Submissions made by Association of Furniture Manufacturers of India have been taken into account in this determination. The association too has not provided any quantified and verifiable information to demonstrate possible adverse effect of proposed antidumping duty on the consumers and public at large. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. Even association has not provided any quantified and verifiable information in this regard. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information.

116. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
117. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The Authority notes that significant fresh capacities have been set up in the country, adequate to take care of entire Indian demand. Further, the product is produced and sold by a number of domestic producers in the country, which shall ensure enough domestic competition.

O. CONCLUSION

118. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. M/s Greenply Industries Limited /Greenpanel Industries Limited constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, application meets the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules with or without Century Plyboards (India) Ltd.
 - ii. Since domestic industry is not manufacturing moulded door skin, the same is excluded from the scope of the PUC.
 - iii. The product produced by the domestic industry is like article to PUC imported from the subject countries.
 - iv. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from each of the subject exporters and countries is above de minimus except for Panel Plus MDF Company Limited.
 - v. The Domestic Industry has suffered material injury. The Authority notes that subject imports have increased over the injury period in relation to gross imports. Even though the subject imports have shown marginal decline in the POI as compared to preceding year, the level of imports in the POI is still significant high and higher than

the levels registered in the base year. Landed price of imports from subject countries being below the cost of sales throughout the injury period, the imports from subject countries are massively undercutting the domestic prices and causing both depression and suppression effect on the prices of the domestic industry as well. Overall performance of the domestic industry has deteriorated in respect of various economic parameters such as profits, cash profits and ROI. Profitability has shown significant decline over the injury period. Return on capital employed (ROCE) declined sharply till 2018-19, and even though it improved in POI, the same was at a sub-optimal level. Profitability, gross profit before tax and return on capital employed have all witnessed significant decline in the period of investigation as compared to base year.

- vi. The domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. The domestic industry has suffered injury due to dumping of product under consideration from subject countries.
- vii. Even though the performance of the domestic industry has improved in respect of production and domestic sales, the same is a result of significant fresh investments made by the domestic industry. Further, the decline in price parameters (profits, cash profits and ROI) far outweigh the improvement in production and domestic sales.
- viii. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information.

P. RECOMMENDATIONS

119. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
120. In view of above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1) (b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the Domestic Industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the import of subject goods originating in or exported from Vietnam, Malaysia, Thailand & Indonesia for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 7. of the duty table.
121. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer	255.35	CBM	USD
2.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Any country other than Vietnam, Malaysia, Thailand & Indonesia	Vietnam	Any Producer	255.35	CBM	USD
3.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Malaysia	Any Country including Malaysia	Segamat Panel Board SDN. BHD.	258.42	CBM	USD
4.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Malaysia	Any Country including Malaysia	Any producer other than at serial number 3	258.42	CBM	USD
5.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Any country other than Vietnam, Malaysia, Thailand & Indonesia	Malaysia	Any Producer	258.42	CBM	USD
6.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness	Thailand	Any Country including Thailand	Panel Plus MDF Company Limited	NIL	CBM	USD

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		less than 6mm*						
7.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Thailand	Any Country including Thailand	Vanachai Panel Industries Limited	258.42	CBM	USD
8.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Thailand	Any Country including Thailand	Any producer other than at serial number 6 & 7	258.42	CBM	USD
9.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Any country other than Vietnam, Malaysia, Thailand & Indonesia	Thailand	Any Producer	258.42	CBM	USD
10.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT Mukti Panel Industri	227.47	CBM	USD
11.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm	Indonesia	Any Country including Indonesia	PT Sumatera Prima Fibrebord	244.60	CBM	USD
12.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Indonesia	Any Country including Indonesia	Any producer other than at serial number 10 & 11	258.42	CBM	USD

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	4411	Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm*	Any country other than Vietnam, Malaysia, Thailand & Indonesia	Indonesia	Any Producer	258.42	CBM	USD

** The laminated Medium Density Fibre Board (laminated MDF Board) is beyond the scope of product under consideration. The Plain Medium Density Fibre Board having thickness of 6MM or more is excluded from the product scope. The product under consideration accordingly is, "Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6mm." Moulded door skin is also excluded from the scope of product under consideration.*

Q. FURTHER PROCEDURE

122. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority